श्रम संगम

वर्ष: 3, अंक: 1

जनवरी-जून 2017

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को समर्पित राजभाषा सेवी सम्मान - 2016

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा नीति संबंधी कार्यकलापों के लिए प्रगतिशील योगदान प्रदान करने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा 20.02.2017 को भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड, सैक्टर–1, नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 33वीं बैठक में समर्पित राजभाषा सेवी सम्मान – 2016 से सम्मानित किया गया।

संस्थान की ओर से श्री अमिताभ वर्मा, भा.प्र.से., अध्यक्ष – नराकास, नौएडा से सम्मान ग्रहण करते हुए संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत

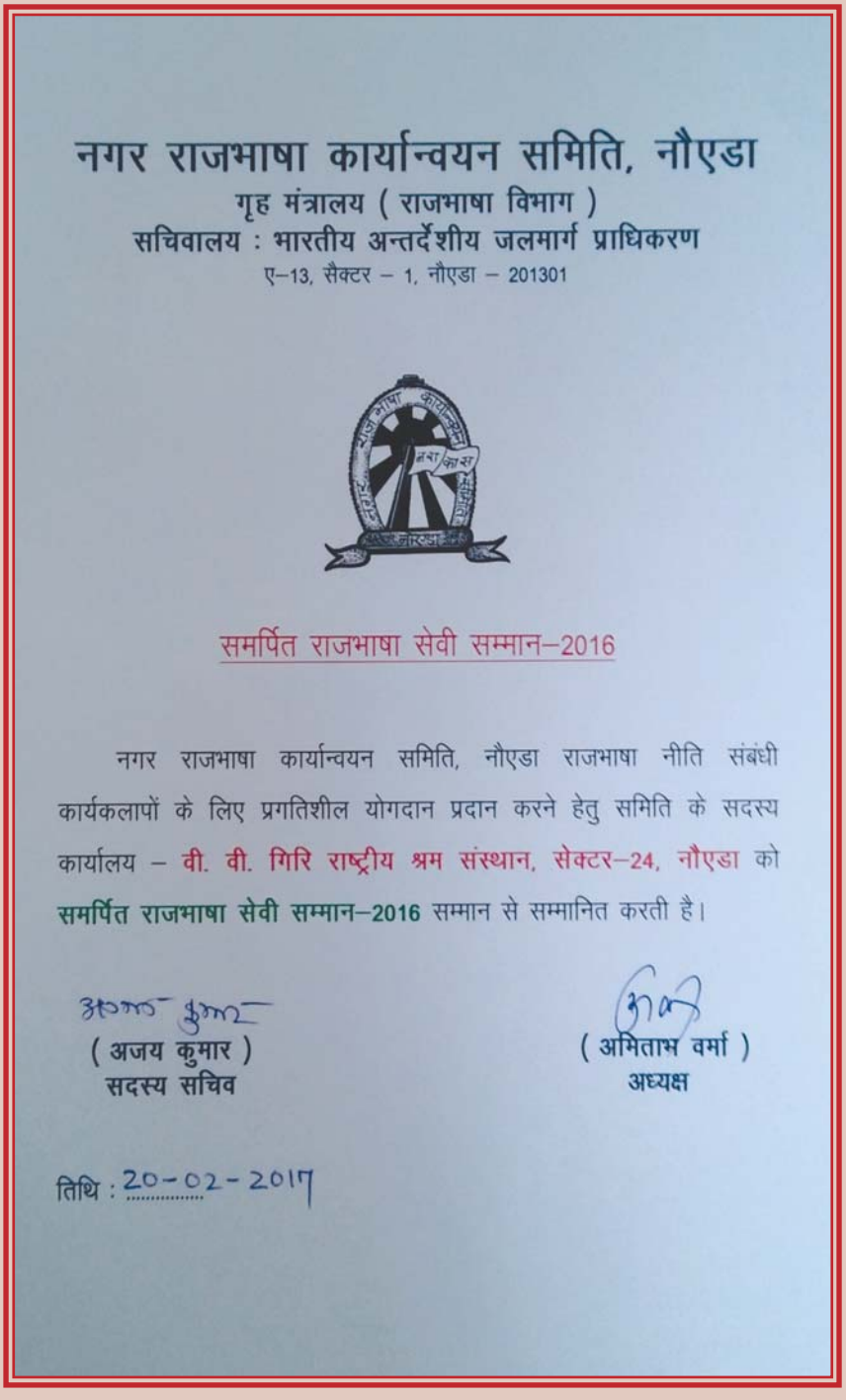

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)

सचिवालय : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए–13, सैक्टर – 1, नौएडा – 201301

समर्पित राजभाषा सेवी सम्मान–2016

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा राजभाषा नीति संबंधी कार्यकलापों के लिए प्रगतिशील योगदान प्रदान करने हेतु समिति के सदस्य कार्यालय – वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर–24, नौएडा को समर्पित राजभाषा सेवी सम्मान–2016 सम्मान से सम्मानित करती है।

(अजय कुमार)
सदस्य सचिव

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

तिथि : 20-02-2017

संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान
वरिष्ठ फेलो

डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 3, अंक: 1, जनवरी-जून 2017

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से...	2
❍	डॉ. भीमराव अम्बेडकर: एक विराट व्यक्तित्व – डॉ. संजय उपाध्याय	3
❍	कार्यस्थल पर मातृत्व संरक्षण: नवीनतम पहल – डॉ. एलीना सामंतराय	7
❍	जीएसटी: एक नए भारत का निर्माण – राजेश कुमार कर्ण	9
❍	प्रसिद्ध साहित्यकार: भारतेंदु हरिश्चंद्र	15
❍	जिंदगी (कविता) – मोनिका गुप्ता	17
❍	पर्यावरण सुरक्षा और अमेरिका – बीरेन्द्र सिंह रावत	18
❍	भारत से गद्दारी (कविता) – सतीश कुमार	22
❍	श्रमिकों के सरोकार और श्रम कानून में सुधार – राजेश कुमार कर्ण	23
❍	पंच-परमेश्वर (कहानी) – मुंशी प्रेमचंद	30
❍	समाज के श्वेत एवं स्याह पहलू – विभिन्न स्रोतों से संकलित	35
❍	नमामि गंगे: अब आयेंगे गंगा नदी के अच्छे दिन – राजेश कुमार कर्ण	39
❍	नयी ऊँचाइयों की तलाश में (कविता) – डॉ. एलीना सामंतराय	45
❍	इतने ऊँचे उठो (कविता) – द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी	46
❍	आह्वान (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	46
❍	स्वाभिमान है हिंदी (कविता) – मोनिका गुप्ता	47
❍	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम	48
❍	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	48

महानिदेशक की कलम से...

हिंदी बहुत ही सरल, सहज एवं सुबोध भाषा है तथा इसे आसानी से बोला–सीखा जा सकता है। यह जन–जन की भाषा है तथा यह विभिन्न भाषा–भाषी भारतीय समाज में संपर्क भाषा का कार्य भी बखूबी करती है। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न भाषा–भाषी लोगों को एक साथ चलकर आजादी की लड़ाई लड़ने में भी अहम भूमिका अदा की थी। हिंदी भाषा के इसी महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान में इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार हेतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं तथा राजभाषा नीति बनाई गई है। देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी हम सबकी है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। संस्थान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधी निदेशों का अनुपालन करने के साथ ही 2013 से हर वर्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आ रहा है। इसके अलावा नराकास, नौएडा के विभिन्न कार्यकलापों में भी संस्थान की सक्रिय भागीदारी रहती है। यही कारण है कि उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए संस्थान को नराकास, नौएडा द्वारा 20.02.2017 को आयोजित 33वीं बैठक में lefiZr jktHkk"kk lsoh lEeku & 2016 से सम्मानित किया गया।

^Je laxe^ पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

एच श्रीनिवास

¼Mk- ,p- Jhfuokl½

डॉ. भीमराव अम्बेडकरः एक विराट व्यक्तित्व

डॉ. संजय उपाध्याय*

विश्व में समय–समय पर ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनकी चेतना, व्यक्तित्व एवं विचारधारा ने समाज को नई दिशा प्रदान की है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले *'भारत रत्न'* बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे ही महापुरुष, प्रबुद्ध विचारक, अर्थशास्त्री एवं सर्वहारा वर्ग के मसीहा हुए हैं। उन्होंने पीड़ित मानवता का उद्धार करने एवं भारतीय समाज के आर्थिक, और सामाजिक रूप से दलित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने में जो संघर्ष और प्रयास किए उसके कारण उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर ख्याति और मान्यता प्राप्त हुई। वे अप्रतिम देशभक्त थे जो देश को स्वस्थ और सबल देखना चाहते थे। प्रायः लोग कहते हैं कि ''मैं पहले भारतीय हूँ और बाद में कुछ और।'' लेकिन बाबा साहेब कहा करते थे ''मैं पहले भारतीय हूँ और बाद में भी भारतीय हूँ।'' डॉ. अम्बेडकर राजनीतिक समानता के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता पर जोर देते थे। इस संबंध में 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

''26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक आदमी, एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को पाने जा रहे हैं। किंतु सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी, एक कीमत के सिद्धांत को साकार किया जाना अभी शेष है। प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे? हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह असामनता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर्विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता के शिकार हैं, लोकतंत्र के ढांचे को, जिसे संविधान ने कड़ी मेहनत से बनाया है, उखाड़कर रख देंगे।''

डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अपने माता–पिता की चौदहवीं संतान थे। उनका पैतृक गाँव अम्बादवे था जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के मंदागड तालुका में स्थित था। वे महार जाति के थे तथा एक पराक्रमी एवं सुसंस्कृत परिवार से थे। उनके पिता रामजी तथा पितामह मालू जी ब्रिटिश सेना की सेवा में थे। भीमराव जी के जन्म के समय उनके पिता महू के सैनिक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। जब भीमराव दो वर्ष के थे तभी उनके पिता ने रत्नागिरि में स्टोरकीपर के रूप में नौकरी शुरु की तथा वर्ष 1896 में उनका स्थानांतरण वहाँ से सतारा हो गया था। वर्ष 1904 में उनका परिवार बम्बई चला गया जहाँ वे एक बहुत छोटे से मकान में अपने दो भाइयों, दो बहनों और अपनी चाची मीराबाई के साथ रहा करते थे। भीमराव जी के पिता रामजी कबीरपंथी थे। इसके साथ ही वे संत कवि चोखा महाराज तथा तुकाराम महाराज के भक्ति गीत बड़े चाव से गाया करते थे। भीमराव जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1904 में सतारा से पूर्ण करने के पश्चात बम्बई के एलफिंस्टन हाईस्कूल में प्रवेश लिया जहाँ से उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बी. ए. की परीक्षा 1913 में बम्बई के ही एलफिंस्टन कॉलेज से पूरी की। इसके पश्चात बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ की कृपा के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के लिए जुलाई 1913 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश का सौभाग्य मिला। उन्होंने वहाँ से 1915 में अर्थशास्त्र विषय में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने इसी विषय में पीएच.डी. भी किया। ज्ञान के प्रति उनकी इच्छा अभी भी तृप्त नहीं

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान*

हुई और आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में प्रवेश लिया जहाँ से उन्होंने एम.एस.सी और बाद में वर्ष 1923 में डी.एस.सी. की उपाधि अर्जित की। डी.एस.सी. में उनका शोध का विषय था 'रुपये की समस्या।' इसी बीच उन्होंने ग्रेज इन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी प्राप्त की।

उनका विवाह चौदह वर्ष की अल्पायु में महार जाति के ही एक गरीब मजदूर परिवार की बेटी रमाबाई के साथ हुआ था जिनसे उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया। बाद में वर्ष 1935 में खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वर्ष 1948 में डॉ अम्बेडकर ने डॉ. शारदा कबीर, जो कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार की थीं, से दूसरा विवाह किया। भीमराव जी ने पहली नौकरी बड़ौदा राज्य की सेना में 1913 में लेफ्टिनेंट के रूप में शुरु की थी। बाद में पिता के बहुत अधिक बीमार हो जाने के कारण उन्हें वह नौकरी छोड़ देनी पड़ी। इसी प्रकार अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय महाराजा बड़ौदा के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में भी नौकरी की लेकिन जातीय भेदभाव के कारण उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। नवम्बर 1918 में वे बम्बई के सिडनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर चुने गये तथा वहाँ लगभग दो वर्ष नौकरी करने के बाद त्यागपत्र देकर उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चले गये। वहाँ से लौटकर आने पर उन्होंने जून 1923 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरु की। वकालत के साथ–साथ 1925 से 1928 के बीच वे बम्बई स्थित बाटलीबाय एकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में मर्केंटाईल लॉ भी पढ़ाते रहे। जून 1928 से मार्च 1929 तक उन्होंने बम्बई के शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। बाद में वे 1935 से 1938 तक इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। इसके पश्चात वे वकील के रूप में कार्य करने लगे और जीवन पर्यन्त सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों और आंदोलनों में शामिल रहे।

सही मायने में तो उन्होंने समाज सेवा के अपने मिशन की शुरुआत जनवरी 1919 में ही कर दी थी जब उन्होंने साउथबौरो कमेटी के समक्ष साक्ष्य देते हुए विधान सभा में दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान क्षेत्रों और आरक्षित सीटों की वकालत की थी। दलित वर्गों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही उन्होंने 31 जनवरी 1920 से मराठी भाषा में *मूक नायक* नाम से एक पाक्षिक समाचार पत्र की शुरुआत की। मई–जून 1920 में दलित वर्गों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में शुरु हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज ने की। अन्य लोगों के अलावा डॉ. अम्बेडकर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

सितम्बर 1920 से फरवरी 1923 के दौरान लगभग ढ़ाई वर्षों तक अपने उच्चतर अध्ययन के सिलसिले में इंग्लैंड में रहने के बाद पुनः भारत लौटने पर उन्होंने फिर से अपने मिशन को आगे बढ़ाना जारी रखा। दलित वर्गों को सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों एवं आंदोलनों के माध्यम से उनकी शोषित स्थिति से उबारने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बम्बई में 'बहिष्कृत हितकरिणी सभा' का गठन किया। इस सभा ने जनवरी 1925 में अन्य कार्यों के साथ–साथ दलित वर्गों के हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शोलापुर में एक छात्रावास की स्थापना की। 1927 में पाँच वर्ष की अवधि के लिए वे बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। वर्ष 1932 में वे एक बार पुनः पाँच वर्ष के लिए इस परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। समानता के अधिकार पर जोर देने के लिए उन्होंने 1927 में अपने कुछ साथियों सहित महाड के चौदर टैंक पर एक सत्याग्रह किया। इसी दौरान अप्रैल 1927 में उन्होंने 'बहिष्कृत भारत' नाम से एक पाक्षिक पत्र पुनः शुरु किया और साथ ही सितम्बर 1927 में *समाज समता संघ* और दिसम्बर 1927 में *समता सैनिक दल* की स्थापना की। उन्होंने जून 1928 में बम्बई में 'दलित वर्ग शिक्षण समिति' की स्थापना की। इसी के परिणामस्वरूप बम्बई सरकार ने दलित वर्गों के हाईस्कूल छात्रों के लिए पनवेल, ठाणे, नासिक, पूना तथा धारवाड़ में पाँच छात्रावासों की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की माँग को जोरदार तरीके से रखने के लिए उन्होंने 02 मार्च 1930 को कलाराम के मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। यह सत्याग्रह लगभग पाँच वर्ष चला लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके और संभवतः इसी कारण से 13 अक्तूबर 1935 को येउला में उन्होंने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा की। इसी दौरान 08–09 अगस्त 1930 को उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन के दौरान सभी ने डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट की। इसके बाद के वर्षों में आयोजित हुए अखिल भारतीय दलित सम्मेलनों में भी डॉ. अम्बेडकर शिरकत करते रहे।

भारत में सांप्रदायिक समस्या के निराकरण तथा भारतीय संविधान के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवम्बर 1930 से जनवरी 1931 के दौरान लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश से दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आर.बी.आर. श्रीनिवासन व डॉ. अम्बेडकर को बुलाया गया। यह संभवतः पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीति में दलित वर्गों को एक महत्वपूर्ण और प्रथक घटक के रूप में मान्यता दी तथा इस मान्यता का श्रेय काफी हद तक डॉ. अम्बेडकर को भी जाता है। डॉ अम्बेडकर ने 12 नवम्बर 1930 से प्रारंभ होकर 24 नवम्बर 1932 के दौरान सम्पन्न हुए गोलमेज सम्मेलन के तीनों ही सत्रों में हिस्सा लिया। सम्मेलन के प्रथम दो सत्रों के दौरान ब्रिटिश सरकार बाबा साहेब द्वारा रखे गए दलित वर्गों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की माँग मानने को सहमत हो गई थी। लेकिन महात्मा गाँधी द्वारा इसके विरुद्ध किए गए आमरण अनशन के कारण ब्रिटिश सरकार को 1932 के पूना पैक्ट, जिसमें सीटों के आरक्षण सहित संयुक्त मतदान क्षेत्र की बात कही गई थी, मानने को विवश होना पड़ा।

उन्होंने 18 से 20 जुलाई 1942 के दौरान नागपुर में हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संगठनों की विशेष बैठक में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की अनुसूचित जातियों की राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए उन्होंने 08 जुलाई 1945 को बम्बई पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की तथा बाद में सोसायटी ने सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय (1946), सिद्धार्थ रात्रि विद्यालय (1947), सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय (1953) और सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय (1956) की स्थापना बम्बई शहर में की। इसके साथ ही औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय (1950) तथा मिलिंद मल्टी परपज़ हाईस्कूल (1955) की स्थापना की। वर्ष 1953 में डॉ. अम्बेडकर ने मराठवाड़ा क्षेत्र में अपने अनुयायियों को परती भूमि को कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए लेने के लिए सत्याग्रह करने की सलाह दी। उनकी सलाह के जवाब में हजारों की संख्या में उनके अनुयायियों ने सत्याग्रह किया और 1700 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दीं।

डॉ. अम्बेडकर एक बहुत ही उच्च कोटि के विचारक एवं प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने लगभग 20 से अधिक पुस्तकें लिखीं जिनमें से कुछ पुस्तकें उनके निर्वाण के उपरांत प्रकाशित हुईं। उनका दर्शन इतना अधिक व्यापक और सर्वांगीण है कि वह मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि पक्षों से जुड़े अनेक विषयों को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। उनका संपूर्ण दर्शन स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित एक बिल्कुल नई सामाजिक व्यवस्था को कायम और स्थापित करने पर बल देता है।

डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत में नेहरू मंत्रिमंडल में पहले विधि मंत्री बनाए गए। वे संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और 26 नवम्बर 1949 को संविधान के प्रारूप को संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बहुत थोड़े संशोधनों के साथ प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया। हिंदू कोड बिल, विदेश नीति आदि जैसे मसलों पर पंडित नेहरू के साथ उत्पन्न हुए मतभेदों के कारण उन्होंने विधि मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। डॉ. अम्बेडकर मार्च 1952 में बम्बई क्षेत्र से राज्य सभा के लिए चुने गए। उसके बाद वे जीवन पर्यन्त राज्य सभा के सदस्य रहे।

जून 1952 में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एलएल.बी. की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। इसी प्रकार जनवरी 1953 में उस्मानयिा विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने उन्हें डी. लिट की उपाधि से सम्मानित किया। न केवल इतना ही बल्कि भारत सरकार ने भी राष्ट्र के प्रति की गई उनकी अमूल्य सेवाओं के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत 14 अप्रैल 1990 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान *भारत रत्न'* से सम्मानित किया।

वर्ष 1950 आते–आते यह स्पष्ट हो गया था कि उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। अतः उन्हें 25 मई 1950 को कोलंबो में सम्पन्न हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसी प्रकार उन्होंने दिसम्बर 1954 में रंगून में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। वर्ष 1955 में उन्होंने बौद्ध महासभा की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने बुद्ध और उनके धम्म के बारे में काफी साहित्य भी लिखा तथा अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से आए अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। 16 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने

बहुत से अनुयायियों को चंद्रपुर में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। वे नवम्बर 1956 में काठमांडू में संपन्न हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने भी गए तथा 30 नवम्बर 1956 को वहाँ से लौटने के एक सप्ताह के भीतर ही 06 दिसम्बर 1956 को 65 वर्ष की अवस्था में अपने दिल्ली स्थित 26, अलीपुर रोड पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

Je d fof'k"V {k= e vEcMdj th dk ;kxnku

डॉ. अम्बेडकर को अपने विद्यार्थी जीवन से ही मजदूरों तथा समाज के शोषित एवं दलित वर्गों से काफी लगाव था। वे अपने विद्यार्थी जीवन में मजूदरों के खाने के डिब्बे उनके घरों से लाकर मिल तक पहुँचाने का काम करते थे। मजदूरों के प्रति उनके झुकाव एवं सहानुभूति का यही प्रमाण है कि वह सिडनहम कॉलेज, बम्बई के प्रोफेसर होते हुए भी एक डेवलपमेंट चॉल में रहते थे जिसमें 20–30 रु. प्रतिमाह कमाने वाले मजूदर रहते थे। वह निरंतर इस बात पर जोर देते थे कि भारत का सर्वहारा वर्ग भारत का दलित–उत्पीड़ित समुदाय ही है। यद्यपि मार्क्स के क्लासिकल औद्योगिक सर्वहारा से उनकी अवधारणा भिन्न थी, परन्तु जब 1936 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ और इसके अनुसार फरवरी 1937 में चुनाव होना था, उसी समय डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजूदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी में सभी जातियों के मजूदर थे। इस पार्टी की शाखाएं मद्रास व मध्य प्रदेश में भी कायम की गईं। बम्बई में मजदूर पार्टी के 17 उम्मीदवारों में से 15 विजयी हुए। वे स्वयं बम्बई पूर्व की आरक्षित सीट से चुनाव लड़े और उसमें विजयी हुए थे। श्रम हितों के लिए बाबा साहेब ने निम्नलिखित लक्ष्य रखेः–

- वर्तनी प्रथा और कोंकण की खोती प्रथा को रद्द करने के लिए बिल पेश किया।
- 19 मार्च 1928 को उन्होंने बम्बई विधान परिषद में बम्बई हेरिडिटरी ऑफिसेज एक्ट, 1874 में संशोधन कराने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया। ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उन्होंने वर्ष 1937 में 'खोती व्यवस्था' के उन्मूलन के लिए विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत करने के माध्यम से किया। इस विधेयक का उद्देश्य कोंकण क्षेत्र में व्याप्त शोषणकारी 'खोती व्यवस्था' का उन्मूलन करके निम्न दर्जे के जोतधारकों को जोत आधिपत्य संबंधी अधिकार दिलवाना था।
- औद्योगिक विवादों में मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिलाया।,
- मिलों के बुनाई विभाग तथा रेलवे के पोर्टर विभाग में अछूतों को नौकरी दिलाने का कानून पास कराया।
- केंद्रीय और रेलवे सेवाओं में 12.5 प्रतिशत आरक्षण अछूत उम्मीदवारों कोदिये जाने का प्रस्ताव रखा। मिल एवं कारखानों के मजदूरों की भर्ती, उनको हटाने, उनको प्रमोशन देने, काम के घंटे तय करने तथा वेतन सहित अवकाश का प्रावधान आदि के लिए कानून बनवाया।
- जब सितम्बर 1938 में औद्योगिक ट्रेड विवाद अधिनियम के माध्यम से हड़तालों पर रोक लगाने की बात की बहस बम्बई विधानसभा में की गई थी उस समय लगभग 60 यूनियनों ने इसके खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की। इस सांकेतिक हड़ताल में डॉ. अम्बेडकर ने भी सक्रिय भूमिका अदा की।
- डॉ. अम्बेडकर का मत था कि समाज में सबसे बड़ा वर्ग गरीबों का है और सबसे छोटा वर्ग अमीरों का। मध्यम वर्ग का एक सीमित आकार होता है। यदि शोषित वर्ग एकत्र हो जाए तो वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।
- डॉ. अम्बेडकर के श्रम सदस्य काल में कारखाना अधिनियम में तीन बार संशोधन किए गए जिसमें दो महत्वपूर्ण थे। उन्होंने साल भर चलने वाले कारखानों में श्रमिकों को सवेतन अवकाश का प्रस्ताव किया जो 03 अप्रैल 1945 से लागू हुआ। इसमें वयस्कों को 10 दिन और बाल श्रमिकों को 14 दिन की वेतन सहित छुट्टियां उपलब्ध कराई गईं।
- दूसरा संशोधन 04 अप्रैल 1946 को स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार श्रमिकों के दैनिक व साप्ताहिक कार्य के घंटे तय किए गए। वर्ष भर चलने वाली फैक्ट्रियों में वयस्क श्रमिकों के लिए क्रमशः 9 व 48 घंटे तथा मौसमी मिलों में क्रमशः 10 व 50 घंटे नियत किए गए। इससे अधिक काम करने पर ओवर टाइम को प्रावधान रखा गया।

14 अप्रैल 1942 को स्वतंत्र मजूदर पार्टी ने कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर बाबा साहेब का पचासवाँ जन्मदिन मनाया। इसमें लगभग सभी दलों के लोग सम्मिलित हुए। श्रमिकों द्वारा यह स्वर्ण जयंती समारोह नौ दिन तक मनाया गया। परेल कामगार मैदान में, जो विराट सभा आचार्य दोंदे की अध्यक्षता में हुई उसमें बाबा साहेब ने कहा, ''नेता यदि योग्य हो तो उसके प्रति आदर प्रकट करना चाहिए। किंतु मनुष्य को ईश्वर के समान मानना विनाश का मार्ग है।''

कार्यस्थल पर मातृत्व संरक्षणः नवीनतम पहल

डॉ. एलीना सामंतराय* एवं बीरेंद्र सिंह रावत**

जब पुरुष और महिलाएं, दोनों ही प्रदत्त कार्यों में लगे हैं तो कार्य और पारिवारिक दायित्वों में सामंजस्य करने के उद्देश्य से पारिवारिक एवं सामाजिक नीतियों की आवश्यकता अत्यावश्यक हो जाती है। विशेषकर महिलाओं के ऊपर प्रदत्त कार्य तथा अप्रदत्त एवं देखभाल कार्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने का भारी दबाव होता है। अनेकों कामकाजी महिलाएं प्रदत्त कार्य के अनुकूल बनने के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ समझौता करती हैं और इन भूमिकाओं में सामंजस्य करने में वे चिंता एवं तनाव का अनुभव करती हैं। मातृत्व संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के लिए काफी समय पहले से ही एक प्राथमिकता रही है। पहला मातृत्व संरक्षण अभिसमय 1919 में बना था। जून 2000 में आईएलओ ने मातृत्व संरक्षण पर विस्तृत अनुशंसा (सं. 191) के साथ एक नए मातृत्व संरक्षण अभिसमय (सं. 183) को अंगीकृत किया। पिछले सभी अभिसमयों की तरह मातृत्व संरक्षण को सरकार एवं समाज की संयुक्त जिम्मेदारी माना गया है। अभिसमय (सं. 183) कार्यस्थल पर मातृत्व संरक्षण के न्यूनतम मानक तय करता है, जिनमें प्रमुख हैंः 14 सप्ताह की प्रसूति छुट्टी, छुट्टी के दौरान आय का कम–से–कम दो–तिहाई नकद हितलाभ, स्वास्थ्य–देखभाल हितलाभ, गर्भावस्था के दौरान बर्खास्तगी से संरक्षण, प्रसूति छुट्टी, स्तनपान सहित महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यस्थल स्वास्थ्य संरक्षण का अधिकार। जून 2009 में हुए 98वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों में भी यह स्वीकार किया गया था कि कार्य पर लैंगिक समानता लाने के लिए मजबूत मातृत्व संरक्षण महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अभिसमय सं. 183 के अनुसमर्थन एवं उपयोग को बढ़ावा देने, तथा ''....पैतृक अवकाश और पितृत्व एवं मातृत्व अवकाश पर अच्छी प्रथाओं का संकलन एवं प्रसार करने और प्रभावी कानून एवं नीतियां विकसित करने में सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने (आईएलओ 2009)'' के लिए कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि महिला कामगारों के लिए मातृत्व संरक्षण होने से माताओं एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य

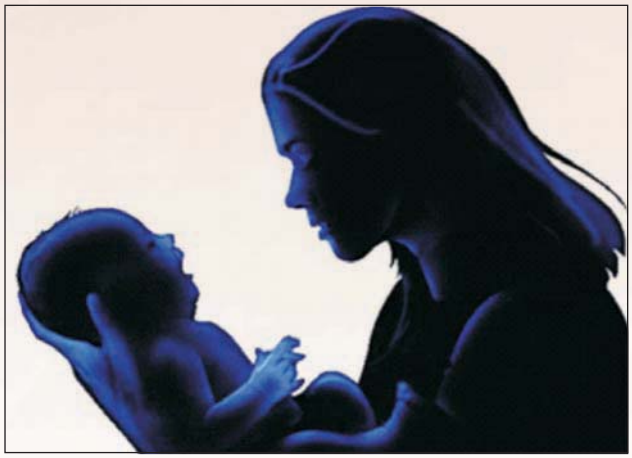

एवं कल्याण में सुधार होता है और इस प्रकार यह *सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सं. 3: स्वस्थ जीवन एवं कल्याण को बढ़ावा देना, तथा लक्ष्य सं. 5: लैंगिक समानता* की प्राप्ति में योगदान देता है।

भारतीय संदर्भ में मातृत्व संरक्षण प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। गर्भावस्था एवं प्रसव के पश्चात माताओं के कल्याण के संरक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के पश्चात कुछ अवधि के लिए कतिपय स्थापनों में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करता है। यह अधिनियम महिला कामगारों की प्रसूति प्रसुविधा के संबंध में एकरूपता लाने के लिए अधिनियमित किया गया है तथा इसके उपबंध प्रसूति प्रसुविधा संबंधी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के समान हैं। यह अधिनियम प्रथमतः उन खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग, बागान तथा दुकान एवं स्थापनों को लागू होता है जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। इन स्थापनों में उन कर्मचारियों, जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कवरेज प्राप्त है, को छोड़कर सरकार के समान स्थापन भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने के बाद राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम का विस्तार दूसरे स्थापनों तक किया जा सकता है। इस अधिनियम में पिछली बार संशोधन वर्ष 2008 में किया गया था। तब, यदि नियोजक द्वारा प्रसवार्थ व्यवस्था और प्रसवोत्तर देखरेख का कोई भी उपबंध निःशुल्क न किया गया हो तो प्रसूति प्रसुविधा

*फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

* वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा अनूदित

अधिनियम, 1961 के तहत चिकित्सीय बोनस की सीमा को 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया था। इसके अलावा, चिकित्सीय बोनस की सीमा को बढ़ाने का अधिकार, अधिकतम 20000 रुपये के अध्यधीन, केंद्र सरकार को दिया गया था। तथापि, 44वें, 45वें एवं 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव के साथ प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत प्रसूति छुट्टी को बढ़ाने की सिफारिश की गयी थी।

आईएलसी की सिफारिशों, विभिन्न वर्गों के अनुरोधों तथा त्रिपक्षीय परामर्शों में हुए विचार–विमर्शों के आधार पर प्रसूति प्रसुविधा अधिनयिम में संशोधन करने का निश्चय किया गया। प्रसूति प्रसुविधा अधिनयिम में 2016 में हुआ नवीनतम संशोधन एक महत्वपूर्ण पहल है, इससे असमानता के मुद्दे का समाधान करने तथा व्यापक मानव विकास परिप्रेक्ष्य में 'देखरेख अधिकार' के संरक्षण में सहायता मिलेगी। इन कानूनी प्रावधानों, जिनसे देखरेख को रोजगार कानूनों में समाविष्ट किया गया है, से महिलाएं श्रम बाजार में लंबी अवधि तक के लिए बने रहने के लिए प्रोत्साहित होंगी। जबकि भारत में महिला श्रम बल प्रतिभागिता में कमी देखी जा रही है, प्रसूति प्रसुविधा का विस्तार तथा नवीनतम संशोधन महिलाओं के श्रम बाजार में बने रहने और उनके कल्याण के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास है। वर्तमान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित यह सवंर्धित प्रसुविधा महिलाओं की श्रम बल प्रतिभागिता को बढ़ाने में काफी हद तक सहायक होगी और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक उत्पादकता में सुधार के साथ ही यह प्रभावी कार्य–जीवन सामंजस्य सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी।

इस सवंर्धित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का उद्देश्य जीवन के प्रारंभिक वर्षों में नवजात शिशु को पूरा मातृत्व संरक्षण सुनिश्चित करना है। माताओं और बच्चों के कल्याण के संरक्षण की दिशा में यह सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नये संशोधन में प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है तथा यह 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी स्थापनों को लागू होता है। इस संशोधन में पोषण करने वाली माताओं को घर से काम करने के समर्थनकारी उपबंध का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इसमें ऐसे सभी स्थापनों, जहां पर 50 या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, में एक शिशु–गृह (क्रेच) की सुविधा या तो अलग–अलग या फिर एक निर्धारित सीमा के भीतर साझा सामान्य सुविधा देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही यह महिलाओं को प्रतिदिन चार बार, उन्हें अनुमत विश्रांति मध्यावकाश सहित, शिशु–गृह जाने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, इस संशोधन में 'सरोगेट माताओं' एवं 'गोद लेने वाली माताओं' के लिए भी बच्चे गोद लने की तिथि से 12 सप्ताह की प्रसूति प्रसुधिा का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन वास्तव में संगठित सैक्टर में नियोजित लगभग 1.8 मिलियन महिला कामगारों के कल्याण के संरक्षण में एक सकारात्मक पहल है। तथापि, इस अधिनियम का विस्तार विशाल असंगठित सैक्टर तक किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिनियम का कार्यक्षेत्र सीमित है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के संशोधन को महिलाओं के कार्य को देखरेख तथा प्रजनन एवं जीवन निर्वाह के लिए सभी क्षेत्रों, बाजारों और घरों में मान्यता देने; और बिना किसी भेदभाव के सभी गर्भवती महिलाओं, गोद लेने वाले माता–पिताओं, सरोगेट माताओं आदि के लिए मातृत्व हकदारी की गारंटी देने की आवश्यकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में नवीनतम संशोधन जटिल मुद्दों तथा कार्य और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य करने में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के समाधान हेतु नीति–निर्माण में लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस नये संशोधन के साथ भारत उन 40 देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर महिलाओं को 18 सप्ताह से अधिक की प्रसूति छुट्टी की अनुमति होगी। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक सप्ताह की प्रसूति छुट्टी वाले देशों में एक होगा तथा यह चीन (15 सप्ताह), जापान (14 सप्ताह), श्रीलंका (12 सप्ताह), बांग्लादेश (12 सप्ताह) तथा कोरिया गणतंत्र (10 सप्ताह) से आगे होगा। भारत अधिकांश यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी (14 सप्ताह), स्पेन (16 सप्ताह), फ्रांस (16 सप्ताह), हॉलैंड (16 सप्ताह), ग्रेट ब्रिटेन (20 सप्ताह) तथा इटली (22 सप्ताह) से भी आगे होगा।

देश में घटती महिला श्रम बल प्रतिभागिता के मद्देनजर, यह नई पहल न केवल महिलाओं की अधिक प्रतिभागिता को समर्थ एवं श्रम बाजार में निरंतरता बनाने में सहायक होगी अपितु यह उनके समग्र कल्याण एवं बेहतर जीवन–स्तर को भी सुनिश्चित करेगी। वास्तव में यह प्रभावी परिवार–अनुकूल नीतियों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

जीएसटीः एक नए भारत का निर्माण

राजेश कुमार कर्ण*

सरकार नागरिकों से दो तरह के टैक्स लेती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष टैक्स है और किसी सामान पर लगा हुआ टैक्स अप्रत्यक्ष टैक्स माना जाता है। अप्रत्यक्ष कर से सरकार की आय प्रत्यक्ष टैक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारत में टैक्स व्यवस्था अबतक काफी जटिल रही है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर अबतक 17 तरह के टैक्स एवं 23 तरह के सेस लगते थे। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई बहुस्तरीय करों के जंजाल में फंस गई थी। भारत में लंबे समय तक जनरल सेल्स टैक्स लागू रहा, फिर 1 अप्रैल, 2005 से इसकी जगह मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू किया गया। किंतु राज्यवार विभिन्नता एवं 'टैक्स पर टैक्स' अर्थात ज्यादा कर वाली वैट आधारित टैक्स प्रणाली में कालाबाजारी, कर चोरी, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार एवं ऑनलाइन के नाम पर जटिलता दिनानुदिन बढ़ती ही गई। इससे घरेलू एवं विदेशी व्यापारी–व्यवसायी सहित उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही, हमारा देश बहुत विशाल है, किंतु हमें एक विशाल बाजार का फायदा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए भारत जैसी उभरती आर्थिक शक्ति के लिए टैक्स के क्षेत्र में सुधार जरूरी था और कर सुधार का प्रयास निरंतर जारी रहा। चूंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन कोई रोज–रोज होने वाली चीज नहीं है इसलिए लंबे एवं गहन विचार–विमर्श के बाद में 1 जुलाई, 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू की गई है जिसके तहत पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर एकसमान टैक्स लगाया गया है। जीएसटी की अवधारणा के पीछे टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार तैयार करने, विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने एवं उदारवाद से मिली विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए विकास को सशक्त करने का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार बताया है। लगभग 130 करोड़ की आबादी वाला देश भारत अब 'एक बाजार' में तब्दील हो गया है।

भले ही जीएसटी श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में लागू हुआ हो, लेकिन इसकी यात्रा 17 साल लंबी है। हमारे यहां संघीय व्यवस्था है और सबके अपने–अपने हित हैं। किसी राज्य में विनिर्माण ज्यादा है तो किसी राज्य में उपभोग। सब अपने–अपने हित देख रहे थे इसलिए जीएसटी पर सभी राज्यों को सहमत कराने मे लंबा वक्त लगा। जीएसटी की नींव आज से 17 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा वर्ष 2000 में रखी गई थी। वाजपेयी जी ने जीएसटी मॉडल का डिजाइन तय करने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई। इस समिति ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद वाजपेयी सरकार ने टैक्स सुधारों की सिफारिश करने के लिए श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। वर्ष 2004 में केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक जीएसटी का सुझाव दिया। इसके बाद 28 फरवरी 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने 2006–07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल, 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति जीएसटी लागू करने के लिए डिजाइन और रोडमैप तैयार करेगी। वर्ष 2008 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ। भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी पर अपना पहला विचार–विमर्श पत्र (एफडीपी) 10 नवंबर 2009 को जारी किया। दिसंबर 2009 में 13वें वित्त आयोग ने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक व्यापक जीएसटी का समर्थन किया एवं इसे लागू करने में केन्द्र और राज्य के बीच सहयोग एवं तालमेल को अनिवार्य शर्त बताते हुए केन्द्र सरकार को राज्यों की इस मुद्दे पर उत्पन्न विभिन्न चिंताओं के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने की सलाह दी एवं निम्न टैक्स दर की सिफारिश की। जीएसटी लागू करने में सक्षमता के लिए संविधान संशोधन करने के लिए 115वां संविधान (संशोधन) विधेयक 22 मार्च 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में पेश किया किंतु 15वीं लोकसभा भंग होने से यह विधेयक स्वतः ही समाप्त

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

हो गया। जीएसटी को देशभर में लागू करने की दिशा में 19 दिसंबर, 2014 का दिन मील का पत्थर साबित हुआ जब वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने इसके लिए 122वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया और लोकसभा ने इसे 6 मई, 2015 को पारित कर दिया। फिर इस विधेयक को राज्यसभा में 12 मई 2015 को पेश किया गया। कांग्रेस ने इस विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने एवं 18% की जीएसटी की अधिकतम सीमा की मांग की। इसके बाद यह विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया जिसने 22 जुलाई, 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस संशोधित विधेयक को राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को दो–तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। इस संशोधन विधेयक को पुनः लोकसभा में पेश किया गया और उसने भी इसे 8 अगस्त 2016 को पारित कर दिया। इसके बाद देश के 50 प्रतिशत राज्यों ने जीएसटी विधेयक को अनुमोदित कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इस विधेयक को 8 सितम्बर 2016 को अपनी मंजूरी दी। 16 सितंबर 2016 को केन्द्र सरकार ने इस विधेयक के प्रावधानों को अधिसूचित किया। इसके साथ ही जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई।

12 सितम्बर 2016 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने श्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी। जीएसटी परिषद ने अपनी 18 बैठकों के जरिए जीएसटी के लिए विस्तार से नए नियम तैयार किए। देशहित के मामलों में दलगत हितों से ऊपर उठने के साथ ही एकजुट होने की भी जरूरत होती है। यह अच्छा हुआ कि सभी दलों ने इसका प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ दलों के साथ–साथ विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसे मंजूर करने में योगदान दिया और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। जीएसटी परिषद की सभी 18 बैठकों में प्रत्येक मसले पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, एक भी मसले पर वोटिंग नहीं हुई, यह हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में किसी अन्य मुद्दे पर ऐसी राजनीतिक आम सहमति पहले कभी नहीं बनी। 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि ''जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और यह सहयोगात्मक संघवाद का एक उदाहरण है, जहां नई परोक्ष कर प्रणाली से जुड़े सभी फैसलों में राज्य साझेदार हैं।'' वस्तुतः जीएसटी एक लंबी विचार–प्रक्रिया, अपार पुरूषार्थ, परिश्रम एवं देश के श्रेष्ठ दिमागों की ताकत का परिणाम है।

संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून 2017 की मध्यरात्रि में देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों जीएसटी की शुरूआत हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ''जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिला करके राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का महत्वपूर्ण काम हो रहा है। 29 राज्य, 7 केन्द्र शासित प्रदेश, केन्द्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों के अलग–अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, तो 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल प्ले कर रहे थे। आज उन सबसे मुक्ति पाकर के, अब गंगानगर से ले करके ईटानगर तक, लेह से ले करके लक्षद्वीप तक 'वन नेशन, वन टैक्स' यह सपना हमारा साकार होकर रहेगा।'' सन 1947 की आजादी ने भारत को राजनीतिक एकता तो दिला दी थी, लेकिन राज्यों को अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर तरह–तरह के टैक्स लगाने की इजाजत देकर इसकी अर्थव्यवस्था को उसने

टुकड़े–टुकड़े में बंटा हुआ ही रहने दिया था। जीएसटी टुकड़ों में बंटी भारतीय कर व्यवस्था को दुरुस्त करता है इसलिए इसे एक सुविचारित, दीर्घकालिक, सकारात्मक एवं कायापलट करनेवाला सुधार माना जा रहा है।

जीएसटी गंतव्य आधारित (डेस्टिनेशन बेस्ड) टैक्स है। जीएसटी में कुछ अपवादों को छोड़कर देशभर में टैक्स की एकसमान दर होगी। आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए समस्त टैक्स एक ही दर पर लगाए जाने चाहिए, किंतु भारत में एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न–भिन्न राज्यों में अलग–अलग दरें होने से प्रारंभ में 4 दरें (5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत) तय की गईं ताकि आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े नहीं अपितु कम हो एवं सरकार के राजस्व में भी कमी न हो। दुनिया के 160 देशों में जीएसटी लागू है, इनमें से अधिकांश देशों में एकल जीएसटी सिस्टम लागू है किंतु ब्राजील एवं कनाडा की तरह भारत में ड्युअल जीएसटी सिस्टम लागू किया गया है। एक ही टैक्स स्लैब होने से यह गरीबों के प्रति भेदभावपूर्ण और आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ाने वाला हो जाता। जीएसटी परिषद ने जांच–परखकर ऐसा किया है, इसकी बहुत जरूरत थी। क्या आप हवाई चप्पल और बीएमडब्ल्यू कार पर एक ही टैक्स दर वसूलेंगे? यह तो गरीबों के प्रति अन्याय हो जाएगा। इसमें 81% वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18% या इससे कम है और शेष 19% विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स है। सभी खुले खाद्य अनाजों, फल–सब्जियों, दूध–दही, नमक, गुड़ जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। 28% टैक्स स्लैब थोड़ा अधिक कहा जा सकता है। सर्विस टैक्स अधिकांश सेवाओं पर 15% से बढ़ाकर 18% हो गया है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में टेलीकॉम, बैंकिंग, कोचिंग, होटल, हेल्थ प्लान, प्रीमियम प्लान, इंश्योरेंस आदि सेवाओं की काफी अहमियत है, इनका उपयोग जो जितना करेगा, उसकी जेब उतनी ही खाली होगी। अर्थव्यवस्था के पायदान पर जो जितना ऊपर है, वह आनुपातिक तौर पर इन सेवाओं का प्रयोग उतना ही ज्यादा करता है। इसी के मद्देनजर कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के दो–तिहाई हिस्सेवाली सर्विस सेक्टर से कर वसूली 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करके सरकार की आय में तो वृद्धि हो जाएगी किंतु सेवा क्षेत्र जनित महंगाई मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग को खलेगी। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर ज्यादा टैक्स लगा दी गई है, इसे कम करने की जरूरत है।

चूंकि अब सभी 17 अप्रत्यक्ष कर एवं 23 सेस जीएसटी में समाहित होकर एक हो गए हैं, इससे पूरा देश एक साझा राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तित हो गया है तथा वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें पूरे देश में एक समान हो गई हैं। पहले राज्यवार अलग–अलग टैक्स होने के कारण कई बार ग्राहकों को ठगी का शिकार भी होना पड़ता था। किंतु अब जानकारी एवं स्पष्टता होने से उपभोक्ताओं के शोषण में कमी आएगी क्योंकि अब कोई दुकानदार या कारोबारी अब देश के किसी भी कोने में उन वस्तुओं को मनमाने दामों पर नहीं बेच पाएगा, जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। अब भारत में कई बाजार नहीं होंगे, अब भारत खुद बाजार है– 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार'। जीएसटी से पूर्व 2% इंटर–स्टेट टैक्स लगता था, किंतु जीएसटी से राष्ट्रीय बाजार बनेगा जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कम विकसित राज्यों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। पहले एक उत्पाद पर कई जगह टैक्स लगता था, अब एक ही जगह लगेगा। पहले वस्तुओं पर औसतन लगभग 25–30 प्रतिशत टैक्स लगता था जो अब घटकर 18–20 प्रतिशत हो गया है। इससे उत्पाद की कीमत कम हो जाएगी। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अधिकतर अध्ययन दिखाते हैं कि मध्यावधि में जीएसटी से महंगाई कम होगी क्योंकि व्यवस्था में सक्षमता पैदा हो जाएगी। इसका मुनाफा–विरोधी प्रावधान कारोबारियों को बाध्य करता है कि वे करों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दें। एंटी प्रॉफिटिरिंग क्लॉज में साफ है कि अगर जीएसटी के बाद टैक्स की कमी के कारण कीमतों में कमी आई है तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। अगर कोई मैन्यूफैक्चरर दाम बढ़ा देता है तो उसके खिलाफ जीएसटी के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। एंटी प्रॉफिटिरिंग कमेटी के सामने शिकायत रखी जा सकती है जिसके बाद इस क्लॉज के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सामान सस्ता होने से खपत बढ़ेगी एवं इसकी पूर्ति के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को ज्यादा मैनपावर की जरूरत होगी। देशी एवं विदेशी कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट खोलने को प्रोत्साहित होंगी जिससे 'मेक इन इंडिया' को बल मिलेगा एवं नौकरियों

की बहार आएंगी। विगत कुछ वर्षों से आर्थिक विकास के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। किंतु जीएसटी से अब रोजगार रहित विकास (जॉबलेस ग्रोथ) की स्थिति बदलेगी। जीएसटी के कारण अब अर्थव्यवस्था असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इससे संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा जहां बेहतर वेतन, सुविधा एवं कार्यदशा होती है। इसका फायदा असंख्य कामगारों को निश्चित रूप से मिलेगा। पहले बहुत से व्यापारी–व्यवसायी टैक्स देनदारी से बचने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाकर अपने व्यापार–व्यवसाय को सीमित किए हुए थे, किंतु लेन–देन ऑनलाइन होने से अब ऐसा मैनुपुलेशन नहीं हो पायेगा, परिणामस्वरूप उनके व्यापार–व्यवसाय के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था भी तेज गति से बढ़ेगी। जीएसटी से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं निवेश हेतु बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनेगा एवं निर्यात में भी वृद्धि होगी जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़ोतरी होगी। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना के मद्देनजर जीएसटी पासा पलटनेवाला कदम साबित होगा। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में एक से पौने दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक इसे गेम चेंजिंग आर्थिक सुधार मानता है, जो कि जीडीपी में कम से कम दो प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ होगा। अधिक रोजगार एवं अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से गरीबी दूर होगी। निश्चय ही जीएसटी के लागू होने के साथ ही एक नए भारत के निर्माण की शुरूआत हो गई है।

तमाम अध्ययनों से भी संकेत मिलते हैं कि जीएसटी से आर्थिक विकास पर बहुत उत्साहजनक प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन बढ़ने से विकास दर में 1 से 2% की वृद्धि मुमकिन है। वर्तमान समय में भारत की विकास दर 7.5% के करीब है। अगले एक–दो वर्षों में इसे 8% और पाँच साल में 10% तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जीएसटी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में मैक्रोइकोनॉमिक्स का माहौल हाल के कुछ वर्षों में इतना बेहतर बन गया है कि ''दुनिया भर के उभरते बाजारों में भारत को एक सुरक्षित ठिकाना माना जाने लगा है।'' इसमें आधार, दिवालियापन कानून, जीएसटी, मौद्रिक नीति के नए फ्रेमवर्क का संहिताबद्ध किया जाना तथा सरकार द्वारा नई राजकोषीय नीति का बेहतर ढ़ांचा बनाने की कोशिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली लागू होने से विदेशी कंपनियों का टैक्स कन्फ्यूजन खत्म होगी, विवाद कम होंगे। ऐसे में वे बिना किसी आशंका के भारत में निवेश बढ़ाने पर जोर देंगे। जीएसटी लागू होने से भारतीय उत्पादक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में मजबूती से टिक सकेंगे और भारत से होने वाले निर्यात को बल मिलेगा तथा आयात से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी क्योंकि इसमें उचित प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) का प्रावधान है।

चूंकि भारत एक संघीय देश है, इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों ही टैक्स संग्रह करते हैं। जीएसटी के तीन प्रकार हैं– पहला– सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), दूसरा– स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) और तीसरा– इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी)। अगर कोई कारोबारी अपना सामान एक राज्य में बेचता है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा किंतु अगर कोई कारोबारी एक राज्य से सामान ले–जाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। जीएसटी प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल एवं आसान है। जीएसटी से करारोपण तथा कर वसूली दोनों स्तरों पर जटिल प्रक्रियाओं एवं नियमों–विनियमों के जंजाल से छुटकारा मिल गया है। 17 अप्रत्यक्ष करों की जगह एक जीएसटी लेने के कारण टैक्स नियमों के अनुपालन की लागत एवं सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में भी कमी आने की उम्मीद है। जीएसटी उद्योगपतियों–व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद है। उनपर करों का बोझ कम होगा क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण पर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में *इनपुट टैक्स क्रेडिट* मिल जाएगा। इससे अनुपालन खर्च भी कम होगा। विभिन्न प्रकार के टैक्स के लिए अनेक प्रकार के रिकार्ड नहीं रखने होंगे जिससे संसाधनों की बचत होगी। जीएसटी का पूरा तंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर तैयार किया गया इसलिए हर लेनदेन का डिजिटल रिकार्ड होगा जिसे तलाशना आसान होगा। इससे कर वसूली करते समय टैक्स अधिकारियों की गतिविधियां निर्विवाद हो जाएंगी, उनकी दखलंदाजी कम हो जाएगी। विवाद की स्थिति में विवाद की सुनवाई के लिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्युनल की भूमिका निर्णायक होगी। ऐसे में कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कारोबारियों का तनाव कम होगा और व्यापारियों–कारोबारियों के द्वारा सही तरीके से टैक्स भी दिया जाएगा।

जीएसटी डिजिटल तंत्र को प्रोत्साहित करने, नकदीरहित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने एवं वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने का भी प्रयास है। डिजिटल इकोनॉमी होने से कर चोरी, कालाधन पर रोक लगेगी, साथ ही समुचित टैक्स वसूली में मदद मिलेगी, पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी आएगी। इससे लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही से उपभोक्ताओं एवं व्यापारी–व्यवसायी को मुक्ति मिल गई है। जीएसटी के तहत टैक्स संरचना आसान होगा और टैक्स बेस बढ़ेगा जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नतीजतन, यह बेहतर सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से करदाताओं तक पहुंचेगा। कई राज्यों ने जीएसटी से टैक्स संग्रह कम होने का अंदेशा जताया था इसलिए केन्द्र सरकार ने जीएसटी बिल में यह प्रावधान किया कि जीएसटी आने के बाद यदि किसी राज्य सरकार के टैक्स संग्रह में कमी आती है तो केन्द्र सरकार उसकी शत–प्रतिशत भरपाई अगले पांच साल तक करेगी। मगर केन्द्र सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी से राज्यों की आमदनी में कमी नहीं आएगी बल्कि वृद्धि ही होगी।

जीएसटी से पहले बहुत से व्यापारी टैक्स से इसलिए बच जाते थे क्योंकि वे कई क्रेडिट के लिए योग्य नहीं होते थे और अपना सामान उनसे खरीदते थे जिसे वैट से छूट मिली हो। इस तरह छद्म अर्थव्यवस्था भारत में धीरे–धीरे पनप रही थी। जीएसटी लागू होने के साथ ही ये सभी व्यापारी खरीदारी के वक्त चुकाए गए क्रेडिट पाने के योग्य हो गए हैं। अब अगर वे अपने लेनदेन को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वह सारे क्रेडिट गंवा बैठेंगे। इसलिए व्यापारी अब कम फर्जीवाड़ा करेंगे, ऐसा करने में ही उन्हें लाभ होगा। प्रत्येक कारोबारी से यह अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे कारोबारियों के साथ ही लेन–देन करें जो टैक्स वसूलने के बाद उसे सरकारी खजाने में जमा कराए। व्यापारियों के व्यवहार और उनके रिकार्ड को देखते हुए उन्हें अनुपालन रेटिंग भी दी जाएगी जिसे कोई भी व्यापारी देख सकता है ताकि बार–बार गड़बड़ी करने वालों से सावधान रहा जा सके और उनसे कारोबार करने से बचा जाए। 15 अंकों के एक जीएसटीएन कोड की मदद से अप्रत्यक्ष कर का बेहतर अनुपालन होगा। जिन्हें जीएसटीएन के बगैर कारोबार करने की छूट मिली हो उनके अलावा कोई भी इसके बगैर कारोबार नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों को दिया गया है। पहले 10 लाख से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को वैट भरना पड़ता था किंतु अब 20 लाख रुपए सालाना से कम का कारोबार करने वाले कारोबारी पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यापारी का सालाना कारोबार 10 लाख से 20 लाख के बीच में था, उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा और न ही उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग की पैन संख्या को जीएसटीएन में जोड़ कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के डेटाबेस को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे जीएसटी में धोखाधड़ी मुश्किल हो जाएगी, परिणामतः कर संग्रह बेहतर होगा। जीएसटीएन का लक्ष्य न केवल अनुपालन के कार्य को सरल बनाना है, बल्कि करों के भुगतान प्रक्रिया को भी सरल, सहज और सुविधाजनक बनाना है। जीएसटीएन की शक्ति से युक्त जीएसटी के सफल क्रियान्वयन से भारत को 'इज ऑफ डुइंग बिजनेस' मानदंड के क्षेत्र में अधिक लाभान्वित होने की उम्मीद है। अगर कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़ने का भी तंत्र इन–बिल्ट मैकेनिज्म के रूप में है। प्रधानमंत्री जी ने 'द इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' के एक कार्यक्रम में सख्त संदेश देते हुए कहा कि '37 हजार दिखावटी कंपनियों की पहचान कर ली गई है और इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तीन लाख से अधिक कंपनियां संदिग्ध लेनदेन में लिप्त थीं, इनमें से एक लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।' पंजीकरण अनिवार्य करने की वजह से ही ऐसा हो सका।

जीएसटी लागू होने से निर्यात, रोजगार और आर्थिक विकास में जो बढ़ोतरी होगी उससे देश को सालाना अरबों रुपए की आमदनी होगी। जीएसटी के अंतर्गत व्यापारी को माल और सेवाओं की खरीद पर दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा जो कि पूर्व कर व्यवस्था में उपलब्ध नहीं था। वे अब उनके द्वारा दिए गए सभी करों का क्रेडिट ले पाएंगे। साथ ही, जीएसटी से सामान का लाना–ले जाना आसान और सहज हो गया है। जीएसटी लागू होने के बाद सभी राज्यों ने चेक पोस्ट को खत्म कर दिया है। इस फैसले से एक अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था को 2300 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। अब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तमाम बाधाएं दूर हो गयी हैं जिससे सामान की लागत घटेगी तो सामान भी सस्ता होगा तथा समय एवं धन की बर्बादी भी रूक जाएगी।

पहले उद्योग जगत ही जीएसटी की मांग कर रही थी, अब जब जीएसटी लागू हो गई है तब बहुत से उद्योग इसके लिए तैयार नहीं हैं जबकि सरकार पूरी तरह तैयार है। व्यापारी–व्यवसायी के मन में कुछ भ्रांतियां है, जिनका समाधान जरूरी है। एक साल में 37 फार्म भरने (महीने में 3) को लेकर काफी भ्रम है। वास्तविकता यह है कि उन्हें बस एक बार पंजीकरण करवाना होगा और प्रत्येक महीने की

10 तारीख से पहले पिछले महीने की रिटर्न दाखिल करनी होगी। बाकी दोनों फार्म ऑनलाइन अपने आप तैयार हो जाएंगे। लागत पर कर रिफंड के लिए इनवायस को वेंडर की पुष्टि की दरकार होगी, यह थोड़ा जटिल काम है और इससे कई तरह की दिक्कतें उन्हें हो सकती है। उम्मीद है, जीएसटी परिषद द्वारा समय–समय पर जीएसटी की समीक्षा होती रहेगी और इसमें निरंतर सुधार होता रहेगा। जीएसटी परिषद को जहां पर्याप्त सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, वहीं उद्योग–कारोबार के साथ उसका संवाद भी अपरिहार्य होगा। जीएसटी व्यवस्था में जीएसटी परिषद सर्वोच्च शक्ति संपन्न निकाय है। इस परिषद के लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि वह अपना रूख लचीला बनाए रखे और गुणवत्ता के आधार पर न्यायसंगत निर्णय ले। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स ज्यादा लगा दी गई है, इसे कम करने की दिशा में आगे बढ़े।

कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भारत ने जीएसटी के दायरे को व्यापक बनाने का मौका गंवा दिया है जो 13वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। रियल एस्टेट को आंशिक रूप से जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अचल संपत्ति की खरीद–बिक्री के लिए स्टाम्प शुल्क वसूला जाता रहेगा। शराब, तम्बाकू, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। रियल एस्टेट और बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में टैक्स चोरी की भारी आशंका रहती है।

भारत जैसे विशाल तथा विविधताओं से भरे देश में राजकाज की जगजाहिर अक्षमताओं, प्रौद्योगिकी को अपनाने में लचर रवैया और जवाबदेही की कमी आदि जीएसटी के सफल कार्यान्वयन में बड़ी चुनौतियां है। कर चोरी के अभ्यस्त जीएसटी के प्रावधानों में भी चोर दरवाजे तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। किंतु उम्मीद है कि इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। उम्मीद अच्छी चीज है लेकिन सतर्कता इससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे अच्छे–बुरे पहलू रातों–रात तो उजागर नहीं हो जाएंगे। जीएसटी को लेकर केन्द्र सरकार काफी गंभीर रही है। इसकी शुरूआत भी अच्छी हुई है और आगे इसपर अमल को लेकर भी सरकार सचेत रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं आने देगी एवं इस नई व्यवस्था को लोगों के लिए ज्यादा सरल एवं लाभप्रद बनाने के लिए प्रयास करेगी। जीएसटी को लेकर भारत तथा दुनिया में उत्सुकता का भाव है एवं लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि जीएसटी 'न्यू इंडिया' की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी 'डिजिटल भारत' की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नहीं है, जीएसटी 'वे ऑफ डूइंग बिजनेस' को भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफार्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफार्म से भी आगे एक सामाजिक रिफार्म है। आर्थिक स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा से सामाजिक उत्थान स्वतः होता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है। केन्द्र सरकार ने जीएसटी के माध्यम से आर्थिक संपन्नता और स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कारगर कदम उठाया है।

हाल के वर्षों में भारत की विकास गाथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों से भरी है, चाहे *जन–धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उज्ज्वला* जैसे उपायों से वित्तीय समावेश हो, *नोटबंदी* से ब्लैकमनी की समाप्ति एवं राजकोष सुदृढ़ करना हो, *मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* आदि उपायों से आधारभूत ढ़ांचा का सुदृढ़ीकरण हो या कृषि विकास हो। सर्वांगीण विकास पर सरकार के जोर से विकास का प्रत्येक क्षेत्र खूब चर्चा में है। जीएसटी जैसी अच्छी आर्थिक नीतियों और नोटबंदी जैसी राजकोषीय सुदृढ़ता के उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक परिदृश्य सतत वृद्धि की ओर अग्रसर रहे और एक नए एवं सशक्त भारत का निर्माण हो। जीएसटी सरकार की ग्रोथ स्ट्रेटजी का मजबूत स्तंभ है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम समय में पड़ा है। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए चाहे कारोबार में सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रश्न हो या आधारभूत संरचना की बेहतरी का, जीएसटी इस दिशा में कारगर उपाय साबित होगा। उम्मीद है, भारत की विकास गाथा बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ता रहेगा।

उम्मीद है, जीएसटी सही मायने में उपभोक्ताओं, व्यापारियों–कारोबारियों, अर्थतंत्र, सरकार एवं अंततः देश के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव पर कोई संशय नहीं है, इसलिए सभी हितधारकों ने इस सुधार का स्वागत किया है। भूमि एवं श्रम दो सबसे महत्वपूर्ण लंबित सुधार हैं। केन्द्र सरकार जीएसटी में राज्यों के साथ बनी सहमति का इस्तेमाल उन्हें इन लंबित सुधारों के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर इन मोर्चों पर सुधार हो गए तो जीएसटी के साथ वे अर्थव्यवस्था को पंख देने वाले साबित होंगे।

प्रसिद्ध साहित्यकारः भारतेंदु हरिश्चंद्र

आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी के एक सम्पन्न परिवार में 1850 ई0 में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र और माँ का नाम पार्वती था। इनके पिता बृजभाषा में गिरिधरदास के नाम से कविता किया करते थे। जब ये पाँच वर्ष के थे, तब माँ का और जब तेरह वर्ष के होते–होते इनके पिता का भी देहांत हो गया था। साहित्य के संस्कार भारतेंदु का बचपन से ही घर पर लगने वाली मजलिसों से प्राप्त होने लगे थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा की अधिकांश शिक्षा भी इनकी घर पर ही सम्पन्न हुई। कुछ समय तक काशी के क्वींस कॉलेज में भी इन्होंने अध्ययन किया। 25 जनवरी 1885 को मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया।

भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा। इन्होंने हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात किया जिससे हिंदी भाषा और उसके साहित्य के प्रचार–प्रसार में पर्याप्त सहायता मिली। इन्होंने 'कविवचन सुधा' (1868) और 'हरिश्चंद्र मैगजीन' (1973) पत्रिकाएं निकालीं तथा नारी शिक्षा हेतु 'बाला विबोधनी' (1884) पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इनकी उदारता, लगन और साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर हिंदी साहित्यकारों का एक मंडल भी इनके इर्द–गिर्द तैयार हो गया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें पं0 बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', पं0 प्रताप नारायण मिश्र, पं0 बालकृष्ण भट्ट, अंबिकादत्त व्यास, पं0 राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु युग से पूर्व के युग को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में हिंदी कविता बिलासिता के पंक में डूबी हुई थी। इस काल में अधिकांश हिंदी कवि राज्याश्रित, दरबारी तथा श्रृंगार वृत्ति के रसिक कवि थे और उन्होंने रूढ़िबद्ध, श्रृंगार रस एवं सामंत वर्ग को अनुरंजित करने वाला, स्तुतिपरक, चाटुकारिता से पंकिल तथा उनकी काम–वासना को उद्दीप्त करने वाला काव्य लिखा। इस काल के कवियों को समाज–हित, लोक–कल्याण, नीतिवादिता से कोई लेना–देना नहीं था। वह जन–सामान्य से पूरी तरह कटा हुआ काव्य था। इसलिए इस काल को अंधकार युग, नैतिक पतन और सुषुप्ति का काल कहा जाता है। इस काल (संवत् 1700–1900) की समाप्ति के उपरांत उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों तथा पाश्चात्य जगत की समृद्धि देख तथा कुछ समय बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की शोषण नीति के कारण देश तथा देशवासियों की दुर्दशा देखकर भारतेंदु और उनके द्वारा गठित भारतेंदु मंडल के उनके मित्रों और सहयोगियों में नई चेतना जागी और उन्होंने अपनी पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से नई चेतना जगाने का प्रयास किया। इसीलिए भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा जाता है।

भारतेंदु युग के लगभग सभी कवियों जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के संपादक भी थे, तथा जो जनता को वास्तविकता से परिचित कराना, उनमें नई चेतना जगाना, उनकी आँखें खोलना अपना कर्तव्य मानते थे, ने जागरण का शंख फूँका और अपनी रचनाओं–निबंधों, लेखों, नाटकों तथा कविताओं के द्वारा नई चेतना का संचार किया। इस नई चेतना का परिणाम यह हुआ कि हिंदी कविता राजदरबारों तथा सामंतवादी मनोवृत्ति से मुक्त होकर जन–जीवन से, देश की समस्याओं से जुड़ने लगी तथा सामाजिक सुधार, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, पाखंड, आडंबर का विरोध तथा देश की समस्याएं एवं स्वतंत्रता उसके विषय बनने लगे।

हरिश्चंद्र के प्रखर व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान से प्रेरित होकर तथा अंग्रेजों द्वारा राजा शिवप्रसाद को 'सितारेहिंद' की उपाधि से विभूषित किए जाने की प्रतिक्रिया के रूप में 1880 में 'सार–सुधा–निधि' पत्रिका में साहित्यकारों ने इन्हें 'भारतेंदु' की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा। तभी से इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाने लगा।

पाश्चात्य सभ्यता एवं ब्रिटिश सत्ता का आगमन एवं संपर्क भारतवर्ष में सबसे पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ। उनके समाज, धर्म और भौतिकतावादी विचारों का प्रभाव भी सर्वप्रथम इन दो प्रदेशों में और बाद में उत्तर भारत एवं उत्तर प्रदेश में परिलक्षित होता है। मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अंधविश्वासी चेतना को पश्चिमी ज्ञान–विज्ञान के आलोक में झकझोर कर जगाने का काम बंगाल में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरीखे विद्वानों ने अपने हाथ में ले लिया था। बाल–विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों का नकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर वहाँ गूँजने लगे थे। भारतेंदु यात्रा के शौकीन थे। अपने छोटे से जीवन में

उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की थीं। बंगाल की यात्राओं के दौरान वे वहाँ के इन मनस्वियों के विचारों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने इन प्रगतिशील विचारों को चुले मन से स्वीकार किया और उन्हीं के कारण हिंदी प्रदेश में नवजागरण कर ज्योति प्रदीप्त हुई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफी सबूत जुटाए थे, के संपर्क में आने पर भारतेंदु स्वयं विधवा विवाह के समर्थक हो गए थे। उनके नाटक 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' में बंगाली पात्र द्वारा उच्चरित यह श्लोक विद्यासागर से ही प्रेरित था:

नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पंच स्वायत्सु नारीणां पतिरुयो विधीयते।

अर्थात पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, लापता हो जाने, नपुंसक हो जाने और पतित हो जाने पर, इन पाँच प्रकार की विपत्तियों में पड़ी स्त्रियों के लिए दूसरे पति का विधान है।

नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना जगाने का का एक अंग है–अपने देश, अपनी मातृभूमि की वंदना करना, अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति का स्मरण दिलाकर देशवासियों के हृदय से हीनता की ग्रंथि समाप्त करना, पूर्वजों का गौरवगान करके उनके आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना, वर्तमान दुर्दशा के कारणों की जानकारी देकर उनको दूर करने के उपाय बताना। ये सब कार्य भारतेंदु का साहित्य सफलतापूर्वक पूरा करता है। वे कहते हैं:

जो भारत जग में रह्यो सबसे उत्तम देस।
ताही भारत में रह्यो अब नहीं सुख को लेस।

भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की व्यावसायिक वृत्ति को भारत की दुर्दशा का कारण माना। इन्होंने अंग्रेजी शासन और भारतीय जनता के मध्य उपस्थित अंतर्विरोध को अच्छी तरह समझा था। इसे व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है:

अंगरेज राज सुख–साज सज्यो है सब भारी।
पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी।

विदेशी के प्रति विरोध भाव और स्वदेशी के प्रति तीव्र आग्रह भारतेंदु को स्वदेशी आंदोलन का प्रथम पुरस्कर्ता सिद्ध करता है। महात्मा गाँधी का स्वदेशी आंदोलन सिर्फ विदेश की बनी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन था। लेकिन भारतेंदु ने स्वदेशी को एक अत्यंत व्यापक आयाम दिया। उनके लिए वस्तुओं का त्याग मात्र प्रमुख मुद्दा न होकर सुदेशी भाषा, सुदेशी संस्कृति, सुदेशी चिंतन, सुदेशी आचरण आदि सभी स्वदेशी के अंतर्गत आ जाते हैं। 'हिंद वर्द्धिनी सभा' में स्वभाषा पर अपने काव्य–भाषण में इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने भाषा प्रेम और उसके महत्व को निम्न प्रकार रेखांकित किया है:

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।
पढ़ो–लिखो कोई लाख विधि भाषा बहुत प्रकार।
पै जब कछु सोचिहो निज भाषा अनुसार।।
निज भाषा निज धरम निज मान करम यौहार।
सबै बढ़ावहु बेगि मिलि, कहत पुकार–पुकार।।

वस्तुतः यहाँ भारत की स्वदेशी संबंधी अवधारणा, विशेष रूप से स्वभाषा संबंधी निष्कर्ष अत्यंत वैज्ञानिक और सार्थक हैं। चाहे कोई कितनी ही भाषाओं का अध्ययन कर ले, लेकिन जब वह सोचने–विचारने, चिंतन करने लगता है तो यह कार्य अपनी मातृभाषा में ही सम्पन्न होता है। चिंतन एवं सभी प्रकार के आविष्कार की क्रिया अपनी मातृभाषा के द्वारा ही सफलतापूर्वक हो सकती है। इसीलिए भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति को सब उन्नति का मूल कहा है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर भारतेंदु ने हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए अपने साहित्य, अपनी पत्रिकाओं, अपने नाटकों द्वारा जो व्यापक अभियान चलाया था, वह अविस्मरणीय है।

यद्यपि नाटक पहले भी लिखे जाते रहे किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। हिंदी में नाटकों को लिखने की शुरुआत उनके द्वारा बंगला के विद्यासुंदर (1867) नाटक के अनुवाद से होती है। एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार होने के साथ–साथ वे कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु ने अपने नाट्य लेखन द्वारा हिंदी नाटक को नया रूप दिया, जिसका श्रेय उनकी मौलिकता एवं चिंतनशीलता को जाता है। उनके लिए साहित्य की रचना सोद्देश्यपूर्ण थी। वे चाहते थे कि हिंदी का साहित्य–संसार भी आधुनिक, उच्चकोटि का और समृद्ध हो। वे सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय नवजागरण के लिए नाटक को सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने कथानक, चरित्र, भाषा, शिल्प एवं रंगमंच की दृष्टि से नाटकों का अध्ययन करके उनका विकास किया और रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को तोड़कर नाटक की विषयवस्तु को यथार्थवाद से जोड़ा, क्योंकि उनका उद्देश्य नाटकों के जातीय स्वरूप को विकसित करना था। नाटक में उद्देश्य की पूर्णता के लिए वे हास्य–व्यंग्य को भी जरूरी मानते थे। 'अंधेर नगरी' नाटक भारतेंदु का एक महत्वपूर्ण नाटक है। यह हास्ययुक्त एक चुटीली रचना है। इसमें एक लोककथा के माध्यम से राजनीतिक अराजकता को उजागर करने तथा लोकजीवन एवं राजनीतिक चेतना को करीब लाने का प्रयास किया गया है। कथा के यथार्थ को व्यंग्य के द्वारा व्यक्त करना भारतेंदु की मौलिकता है। 'अंधेर नगरी'

बुद्धिहीन राजा और चालाक नौकरशाही के कारण ही नहीं अपितु ऊँच–नीच, धर्म–अधर्म एवं विवेक–अविवेक में भेद न किए जाने के कारण भी अंधेर नगरी है। 'अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा' द्वारा भारतेंदु ने एक ऐसे राजा की कहानी कही है, जिसके राज्य में प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान था। उन्होंने इस सच्चाई को अपने पात्रों के मुँह से कहलवाया है, वह वस्तुओं के समान मूल्य का सूचक नहीं है अपितु इससे यह सच्चाई सामने आती है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है फिर चाहे वह व्यक्ति को ईमान, सम्मान ही क्यों न हो? अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। कुछ रचनाएँ अपनी प्रासंगिकता हमेशा सिद्ध करती रहती है। बदलते परिवेश और बदलती परिस्थितियों में उनके नये–नये अर्थ उद्घाटित होते रहते हैं। इस नाटक का अर्थ न तो एक देश और न एक काल तक सीमित है। इस नाटक में निहित राजनीतिक व्यंग्य जितना अंग्रेजों के शासनाधीन भारत के लिए सच था, उतना ही आज के स्वतंत्र भारत के लिए। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जहाँ सोना और मिट्टी एक ही भाव में मिलते हों, वहाँ के लोगों को दरिद्रता और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन टके सेर भाजी, टके सेर खाजा जनता के हित का सूचक नहीं था, बल्कि राज्य की अविवेकपूर्ण कुव्यवस्था का सूचक था। अंधेर नगरी का चौपट राजा अविवेकपूर्ण राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे भ्रष्ट नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाती है। राजा की विवेकहीनता ही उसके अंत का कारण बनती है।

इसी प्रकार हम पाते हैं कि भारतेंदु के नाटकों की विषयवस्तु यथार्थवाद के नजदीक है। 'वैदिकी हिंसा हिसा न भवति' में व्यंग्य द्वारा जीवन में आई विकृतियों के प्रति जनता को जागरूक करना था तो 'विषस्य विषमौषधम्' में राजाओं की व्यभिचार–लीला और प्रजा शोषण को देश की परतंत्रता के कारण के तौर पर दिखाया गया है। 'भारत जननी' में अगर तत्कालीन भारत की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है तो 'भारत दुर्दशा' में अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष आलोचना की गई है। इसमें उनकी राजनीतिक सूझबूझ, प्रहसन–कला, करुणा, व्यंग्य और यथार्थ का सजीव चित्रण मिलने के साथ–साथ उनकी देशभक्ति, निर्भीकता, सहृदयता एवं वीरता के प्रमाण भी मिलते हैं।

भारतेंदु साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है – उनकी व्यंग्यात्मक शैली। अपनी रचनाओं, विशेषकर गद्य साहित्य में उन्होंने व्यंग्य का अत्यंत सहज और सार्थक उपयोग किया। धार्मिक पाखंड, बाल–विवाह, विधवा–विवाह, रूढ़िवादी रीति–नीति, छुआछूत, जाति–पाँत को लेकर उनके व्यंग्य अत्यंत सार्थक सामाजिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनकी काव्य भाषा यद्यपि ब्रजभाषा है, लेकिन गद्य की भाषा में हिंदी खड़ी बोली के व्यावहारिक रूप का ही इन्होंने महत्व दिया और एक 'आमफहम' (सभी लोगों के बीच प्रचलित) भाषा को हिंदी की जातीय भाषा की रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु ने आधुनिक युग की चेतना को गहराई से परखकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त करने का अद्भुत प्रयास किया। राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता महसूस करते हुए एक जागृत विवेक के साथ साहित्य को आम जनता के साथ उन्होंने कुशलतापूर्वक जोड़ा। आधुनिक नाटक, निबंध, टीका–टिप्पणी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना आदि अधिकांश गद्य विधाओं के जन्मदाता होने का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। अपने इस महत्व के कारण ही वे एक युग–प्रवर्तक रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं।

जिंदगी

मोनिका गुप्ता*

ये जीवन क्या है, एक पक्षी के समान है
समय इस के पंख हैं, जीवन रूपी पक्षी, समय के पंखों पर उड़ता चला जा रहा है
जीवन एक बुलबुले का रूप भी है
जो बुलबुले की तरह दो पल का है
जीवन एक मृग मरीचिका भी है
जो कभी भी धोखा दे सकता है
ये जीवन दुनिया की हर चीज से बड़ा है
अतः इसका एक पल भी खुशी से बिताना चाहिए
इस जीवन में अनेक रंग आते हैं
जो इन रंगों को समेटकर रखता है, वही असली जीवन, जिंदगी का हकदार है
जीवन समय के पंखों पर उड़ता चला जाता है
आओ हम भी समय की ताल पर चलते जाएं....चलते जाएं..... चलते जाएं...

* *स्टेनो असिस्टेंट, ग्रेड–I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

पर्यावरण सुरक्षा और अमेरिका

बीरेन्द्र सिंह रावत*

पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के 'परि' (चारों ओर) उपसर्ग और 'आवरण' शब्द के संयोग से बना है। आम तौर पर जब पर्यावरण की चर्चा होती है तो उसका तात्पर्य गैर–मानवीय पर्यावरण से होता है अर्थात पर्यावरण में मनुष्य को छोड़कर वायु, जल, जमीन, जीव–जन्तु, पेड़–पौधे सभी आ जाते हैं। परंतु व्यापक अर्थ में पर्यावरण में वायु, जल, जमीन, जीव–जन्तु, पेड़–पौधे, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि का समावेश होता है।

बढ़ती हुई आबादी, तेजी से खत्म होते प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण के कारण पर्यावरण का बिगड़ता हुआ असंतुलन, और मनुष्य पर उसे दुष्प्रभावों ने मानव को पहले की तुलना में पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत होने के लिए बाध्य कर दिया। इस दिशा में दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 05–16 जून 1972 के दौरान स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें यह तय हुआ कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। इस आशय की पुष्टि हेतु 1972 में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया और केन्या की राजधानी नैरोबी को इसका मुख्यालय बनाया गया। इस सम्मलेन की दसवीं वर्षगाँठ मनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 के दौरान नैरोबी में राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न कार्य योजनाओं का एक घोषणा–पत्र स्वीकार किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन की बीसवीं वर्षगाँठ मनाने के लिए 03 से 14 जून 1992 के दौरान ब्राजील की राजधानी रियो डि जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें संबद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधि एककत्रित हुए तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना के भविष्य की दिशा पर पुनः चर्चा आरंभ की। अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैस पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने का विरोध किया। जब भी यह तय करने की बात हुई कि किस गैस को किस तरह, कितना और कब कम करना है, अमेरिका ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुत्ता की बात की। रियो में यह तय किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्ययोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें पर्यावरण एवं विकास को अन्योन्याश्रित स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों के सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित किया गया तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक प्रयासों हेतु 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) नामक संधि पर दस्तखत हुए। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कोप) नाम दिया गया। इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कोप 1) वर्ष 1995 में बर्लिन (जर्मनी) में हुआ था।

1997 में अमेरिका ज्यादातर देशों की तरह क्योटो संधि में शामिल होने को तैयार हो गया जिसमें सिर्फ विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अमेरिका कई रियायतें हासिल करने के बाद इसके लिए तैयार हुआ। अमेरिका के तत्कालीन उप राष्ट्रपति अल गोर (डेमोक्रेट्स) ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रशासन इस संधि के औपचारिक अनुमोदन के लिए जरूरी दो–तिहाई बहुमत कभी नहीं जुटा पाया और जब बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यु बुश राष्ट्रपति बने तो सारी स्थिति बदल गई। पिता जॉर्ज बुश की तरह जूनियर बुश भी ऐसी संधि के विरोधी थे जो उनके विचार में विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन जलाने और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की छूट देता था जबकि विकसित देशों के हाथ उतसर्जन की सीमाओं के साथ बाँध दिए गए थे। यह संधि 2005 में अमेरिका की भागीदारी के बिना शुरु हुई। रूस के हस्ताक्षर के साथ संधि को लागू करने के लिए जरूरी 55 देशों ने अनुमोदन करने के पश्चात इस पर दस्तखत कर दिए थे। कनाडा संधि से बाहर निकल आया जबकि न्यूजीलैंड, जापान और रूस ने कार्बन कटौती के दूसरे चरण में भाग नहीं लिया। 2009 में दुनियाभर के देश क्योटो प्रोटोकोल की जगह पर एक नई संधि करने के लिए इकट्ठा हुए जिसमें अमेरिका, चीन और भारत सहित सभी देशों को कार्बन कटौती के लिए सक्रिय कदम उठाने थे। लेकिन धनी एवं गरीब देशों के बीच बोझ बाँटने के मुद्दे पर मतभेद उभरने के कारण कोपेनहेगन सम्मेलन विफल हो गया। दूसरे देशों के समर्थन के साथ अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि डील को संधि न कहा जाए। अंत में बैठक

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

में एक समझौता हुआ जिसमें औसत ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री पर रोकने पर सहमति हुई परंतु उत्सर्जन में कटौती के कोई लक्ष्य तय नहीं किए गए। वर्ष 2014 में जलवायु परिवर्तन का 20वाँ सम्मेलन (कोप 20) पेरु की राजधानी लीमा में 01 से 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं उसके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। परंतु कोई ठोस निर्णय इसमें नहीं लिया जा सका।

संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 02 डिग्री से कम रखने के लिए विश्व औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से केवल 2,900 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। परंतु विश्व द्वारा पहले ही 2011 तक 1,900 गिगा टन तथा अब तक लगभग 2,000 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा चुका है। इस प्रकार अब केवल 900 गिगा टन का कार्बन स्पेस शेष बचा है। वर्ष 2030 तक 648.2 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का अतिरिक्त उत्सर्जन किया जा चुका होगा।

जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने के लिए पेरिस में हुए ''संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन'' (कोप 21) में दुनिया के 195 देशों ने 12 दिसम्बर 2015 को जलवायु करार पर ऐतिहासिक समझौते को अपनी मंजूरी दे दी। केवल दो देशों सीरिया और निकारागुआ ने इस समझौते को अपनी मंजूरी नहीं दी। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी कहा गया है कि संभव हो तो तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित की जाए।

भारतीय प्रस्ताव के तहत हुए इस समझौते में वर्ष 2020 से विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। इस समझौते के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- समझौते के तहत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी की वैश्विक तापन वृद्धि दर को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।
- इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में देशों को क्षमतावान बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके तहत पाँच बिंदुओं पर बल दिया गया: क) तापमान वृद्धि दर के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन उत्सर्जन में तीव्र कमी; ख) पारदर्शी प्रणाली एवं सर्वेक्षण–जलवायु कार्रवाई लेखांकन; ग) अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए क्षमता विस्तार; घ) नुकसान एवं क्षति, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से उबरने हेतु क्षमता निर्माण; तथा ङ) सहयोग–लोचशीलता एवं स्वच्छता हेतु वित्तीय सहयोग।
- वर्ष 2020 तक 100 बिलियन डॉलर की जलवायु निधि हेतु एक स्पष्ट रोडमैप बनाया जाएगा।
- वर्ष 2025 से पहले जलवायु निधि हेतु एक नया लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
- पेरिस समझौते को हस्ताक्षर हेतु संयुक्त राष्ट्र के पटल पर रखा जाएगा जिस पर 'मातृ पृथ्वी दिवस' 22 अप्रैल 2016 से एक वर्ष तक हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।
- यह समझौता उन 55 देशों, जो विश्व कार्बन उत्सर्जन में 55 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं, के अनुसमर्थन से प्रभावी हो जाएगा।
- वर्ष 2020 से प्रभावी होने वाले इस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति के आकलन हेतु 2023 में एक वैश्विक समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष पर यह समीक्षा की जाती रहेगी।

पेरिस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की गई। इस उद्देश्य से 'सौर प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी' (इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलोजीज़एंड एप्लीकेशंस – आईएएसटीए) की स्थापना की गई। आईएएसटीए का मुख्यालय भारत में होगा। 400 मिलियन डॉलर के लक्ष्य वाली इस एजेंसी में भारतीय हिस्सेदारी 30 मिलियन डॉलर होगी। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के भारतीय लक्ष्य के आलोक में यह एजेंसी काफी महत्वपूर्ण है।

पेरिस सम्मेलन के दौरान चीन, अमेरिका, भारत, जापान जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों सहित कुल 21 देशों ने 20 अरब डॉलर के एक महत्वाकांक्षी अभियान 'मिशन इनोवेशन' को शुरु किया गया। 'मिशन इनोवेशन' में प्रत्येक देश स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में अपने वर्तमान बजट को दोगुना करने की शपथ के साथ सम्मिलित हुआ है। पेरिस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की–मून द्वारा विश्व के अत्यधिक सुभेद्य देशों में जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने हेतु 'एंटीसिपेट, एब्जॉर्ब, रीशेप' पहल शुरु की गई। यह पहल देशों में जलवायु खतरे की प्रत्याशा, परिणामों का अवशोषण, विकास को नया

स्वरूप प्रदाने करने हेतु वित्त एवं ज्ञान की साझेदारी को प्रोत्साहित करेगी। जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन एवं स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से 500 मिलियन डॉलर की 'परिवर्तनकारी कार्बन परिसंपत्ति सुविधा' शुरु की गई।

कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कांट्रीब्यूशन (आईएनडीसी) यानि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तय किए हैं। भारत ने कार्बन उत्सर्जन के स्तर में वर्ष 2030 तक 33 से 35 फीसदी कमी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा (क) वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा, (ख) 03 अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड का निपटान अतिरिक्त वन लगाकर किया जाएगा, (ग) 175 गीगावाट बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पर उत्पादित की जाएगी, तथा (घ) नदियों की सफाई की जाएगी। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत ने ऊर्जा के स्रोतों के निम्नलिखित लक्ष्य तय किए हैं।

भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन गाँधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2016 को किया। इसके साथ ही वह जलवायु परिवर्तन पर अनुमोदन संबंधी दस्तावेज जमा कराने वाला 62वाँ देश बन गया। 2016 में मोरक्को में हुए सम्मेलन के दौरान भारत समेत आस्ट्रेलिया, बोलीविया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, माल्टा, नेपाल, पुर्तगाल और स्लोवाकिया के साथ–साथ यूरोपीय संघ ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की–मून को अपने अनुमोदन संबंधी दस्तावेज सौंपे। अक्टूबर 2016 तक 191 सदस्य देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह समझौता 04 नवंबर 2016 को अस्तित्व में आ गया है तथा इसके लागू होने के लिए वर्ष 2020 को आधार वर्ष माना गया है।

01 जून 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए पेरसि जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की और कहा कि पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन के दौरान हुए इस समझौते पर फिर से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के प्रति मेरे कर्तव्य के तहत अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट रहा है। एक अच्छा विवेक एक ऐसे सौदे का समर्थन नहीं करता जो अमेरिका को सजा देता हो। चीन और भारत जैसे देशों को पेरिस जलवायु समझौते से सबसे ज्यादा फायदा होने की दलील देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका के लिए अनुचित है क्योंकि इससे हमारे उद्योगों और रोजगार पर असर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत को इस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए अरबों डॉलर मिलेंगे और चीन के साथ वह आने वाले कुछ वर्षों में कोयले से संचालित बिजली संयत्रों को दोगुना कर लेगा और अमेरिका पर वित्तीय बढ़त हासिल कर लेगा।

पिछले 21 वर्षों से कोप की बैठकों में विवाद का विषय सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी और इसके आर्थिक बोझ का रहा है। विकसित देश भारत और चीन जैसे विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने का दोष लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज भी विकासशील और विकसित देशें के बीच प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में बड़ा अंतर है, जो निम्नलिखित दस्तावेजों से साबित होता है।

Xykcy dkcZu ctV] 2016

नवंबर 2016 में ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा 'ग्लोबल कार्बन बजट, 2016' नामक अध्ययन जारी किया। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान 5.3 प्रतिशत है। विश्व के शीर्ष कार्बन उत्सर्जक देश हैं:– चीन (28.6 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (14.9 प्रतिशत)

Hkkjr esa ÅtkZ dk Lkzksr

मद	अप्रैल 2017 (मेगावाट)	कुल ऊर्जा का प्रतिशत	2027 में प्रत्याशित (मेगावाट)	कुल ऊर्जा का प्रतिशत	2017 की तुलना में 2027 में प्रतिशत परिवर्तन
कोयला	1,94,4403	59.1	2,44,428	38.6	26
गैस	25,329	7.7	29,669	4.7	17
तेल	838	0.3	838	0.1	0
जलविद्युत	44,594	13.5	71,924	11.3	61
परमाणु	6,780	2.1	14,380	2.3	112
नवीकरणीय	57,261	17.4	2,72,586	43.0	376
कुल	3,29,205		6,33,825		

और यूरोपीय संघ (28 सदस्य देश – 9.7 प्रतिशत)। वर्ष 2014–15 में भारत के कार्बन उत्सर्जन की दर 5.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2015 में कुल उत्सर्जन में कोयला दहन का हिस्सा 41 प्रतिशत, तेल का 34 प्रतिशत, गैस का 19 प्रतिशत एवं सीमेंट का हिस्सा 6 प्रतिशत रहा।

यूनाईटेड किंगडम स्थित वित्तीय सेवा वेबसाइट 'मनीसुपरमार्केट' द्वारा 'पर्यावरण पर प्रतिव्यक्ति मानवीय प्रभाव' पर एक सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें ऊर्जा की खपत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का हिस्सा, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपज, प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन, शहरों में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होना, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर नागरिकों के प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 1990 से 2011 के बीच के प्रभाव का आकलन करने पर भारत एवं अमेरिका के संबंध में प्राप्त तथ्य इस प्रकार हैं।

Tkyok;q ifjorZu çn'kZu lwpdkad] 2017

16 नवंबर 2016 को 'जर्मनवाच' और 'क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप (सीएएन यूरोप)' द्वारा 'जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2017 (सीसीपीआई, 2017) जारी किया गया। वर्ष 2016 के लिए जारी इस सूचकांक में विश्व में समग्र रूप से 90 प्रतिशत से अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले 58 देशों में जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

इस सूचकांक में पहले तीन स्थानों को खाली छोड़ दिया गया क्योंकि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को रोकने हेतु कोई भी देश अपेक्षित कार्य नहीं कर रहा है। इस सूचकांक में चौथा, पांचवाँ एवं छठा स्थान क्रमशः फ्रांस, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। इस सूचकांक में भारत को 20वाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका को 43वाँ, चीन को 48वाँ तथा जापान को 60वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2015 के इस सूचकांक में भारत को 23वाँ, अमेरिका को 35वाँ, चीन को 48वाँ तथा जापान को 58वाँ स्थान दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले चीन और भारत, जिनकी विश्व जनसंख्या में हिस्सेदारी क्रमशः 18.92 प्रतिशत एवं 17.87 प्रतिशत है और जहाँ पर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अभी भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग अपरिहार्य है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में काफी काम कर रहे हैं। इस सूचकांक में जहाँ चीन अपना स्थान करकरार रखने में कामयाब रहा तो भारत अपना प्रदर्शन सुधारने में सफल रहा। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2015 में 35वें स्थान से खिसककर वर्ष 2016 में 43वें स्थान पर पहुंच गया।

gfjr ÅtkZ ij fuHkZjrk

हरित ऊर्जा पर शत–प्रतिशत निर्भरता के साथ मोजाम्बिक 102 देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा। भारत को इस सूची में 75वाँ स्थान प्राप्त हुआ जबकि अमेरिका 101वें स्थान पर रहा। अंतिम सथान पर त्रिनिदाद एवं टोबैगो रहा क्योंकि वहाँ पर हरित ऊर्जा का नगण्य प्रयोग किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों से जलवायु परिवर्तन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

पेरिस जलवायु समझौते से हटने के अमेरिका के फैसले की पूरी दुनिया ने निंदा की। फ्रांस, जर्मनी, इटली ने इस कदम पर एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि इस समझौते पर फिर से बात नहीं हो सकती। तीनों देशों के नेताओं ने एक बयान में कहा, 'हम मानते हैं कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के कारण जो प्रगति हासिल हुई है, उसे पलटा नहीं जा सकता क्योंकि यह हमारे ग्रह, समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अहम उपाय है।' फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मार्क्रों ने ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नारे का उपहास करते हुए ट्वीट किया, 'मेक आवर प्लेनेट ग्रेट अगेन।' उन्होंने कहा कि इस मसले पर कोई प्लान 'बी' नहीं हो सकता क्योंकि किसी दूसरे प्लेनेट 'बी' का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भारत का कहना है कि वह इस समझौते पर अमल करता रहेगा, जबकि चीन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव एक वैश्विक जिम्मेदारी है। ब्रिटेन ने कहा कि वह अमेरिका से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपील करेगा। स्वच्छ

Øe l-	Ekn	Hkkjr	vefjdk
1.	प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन	1.7 टन	17 टन
2.	शहरों में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होना (प्रति दिन)	0.34 किग्रा	2.58 किग्रा
2.	ऊर्जा की खपत (ब्रिटिश थर्मल यूनिट में)	19.75	312.79
4.	हरित ऊर्जा पर निर्भरता	15.12 प्रतिशत	12.56 प्रतिशत

ऊर्जा के लिए यूरोपीय यूनियन प्रतिबद्ध है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करने के उनके फैसले पर अपनी निराशा जताई। साथ ही, जलवायु परिवर्तन की समस्या का निदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करते रहने की मंशा से भी उन्हें अवगत करा दिया।

यही नहीं, खुद अमेरिका के नेताओं, उद्योगपतियों एवं पर्यावरणविदों ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की। डेमाक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी ने कहा कि इस समझौते से बाहर आना जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी नेतृत्व को छोड़ देना है। पेलोसी ने कहा, 'अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चीन और भारत जैसे देश जलवायु पर कड़े और तीव्र कदम उठाएं तो उन्हें पेरिस समझौते के जवाबदेही एवं कार्यान्वयन प्रावधानों के जरिए ऐसा करना चाहिए न कि हमारे शब्द वापस लेकर और समझौते से बाहर निकलकर।'

टेस्ला संस्थापक एलोन मस्क ने कहा कि वह इस फैसले के विरोध में उद्योग पर राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद को छोड़ देंगे। उनके अनुसार इस समझौते से हटना अमेरिका एवं विश्व के लिए अच्छा नहीं है। पूर्व अमेरिकी उप–राष्ट्रपति अल गोर ने इसे जल्दबाजी में लिया गया तथा असमर्थनीय फैसला बताया। प्रसिद्ध व्यापारी, लेखक एवं राजनेता माइकल ब्लूमबर्ग ने कहा, अमेरिकी जनता पेरिस समझौते का सम्मान करेगी तथा इसके लिए वाशिंगटन हमें नहीं रोक सकता। उन्होंने अमेरिका के हिस्से के 15 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय को देने का प्रस्ताव किया। एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने कहा, पेरिस समझौते से हटना हमारे ग्रह के लिए हानिकारक है। एप्पल जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा, यह फैसला पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है तथा हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालता है। सीनेटर मैजी के. हिरोनो ने कहा, यह फैसला गैर–जिम्मेदाराना, जल्दबाजी में लिया गया और दूरदर्शी नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वभर के तमाम नेताओं के साथ ही अमेरिकी जनता भी जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि अमेरिका द्वारा इस समझौते से अलग होने के कारण इस समझौते के कार्यान्वयन में कुछ परेशानियाँ जरूर आएंगी, परंतु यदि विश्व के तमाम नेता राजनैतिक नफा–नुकसान की न सोचते हुए अपनी बातों पर कायम रहें तो कार्बन उत्सर्जन में कटौती के द्वारा हम अपने बच्चों के भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित कर पाएंगे।

भारत से गद्दारी

सतीश कुमार*

प्रेम प्यार समता को खोया, इन विप्र के गलत विचारों ने।
भारत को बर्बाद कर दिया, इन धर्म के ठेकेदारों ने।।
वर्ण व्यवस्था ना होती तो, जातियों में देश बंट जाता ना
एक जगह रहते सब मिलकर, बाहर से आक्रमणकारी आता ना
पृथ्वीराज चौहान योद्धा को, गौरी अपनी कैद कराता ना
तो कुतुबुद्दीन दिल्ली के अंदर, कुतुम मीनार बनाता ना
आधा भारत घेर लिया इन मुगलों की मजारों ने
भारत को बर्बाद कर दिया, इन धर्म के ठेकेदारों ने ।1।
तैमूर लंग, सिकंदर लोधी, और बाबर यहाँ पर आता ना
कोहिनूर हीरा भारत का, नादिरशाह ले जाता ना
भीम सिंह चित्तौड़ किले में खिलजी को बुलवाता ना
चौदह हजार जली रानी पर इनको इतिहास बताता ना
अपनों को पिटवाया गैरों से, मिलकर यहाँ गद्दारों ने
भारत को बर्बाद कर दिया, इन धर्म के ठेकेदारों ने ।2।
सोमनाथ के मंदिर को महमूद लूट ले जाता ना
अकबर सुंदर लड़कियों का मीना बाजार लगाता ना
कालीचंद बन मुसलमान, भगवान के मंदिर ढाता ना
औरंगजेब जबरदस्ती हिंदुओं को कुरान पढ़ाता ना
देश की कोई मदद करी ना, इन देवी देव अवतारों ने
भारत को बर्बाद कर दिया, इन धर्म के ठेकेदारों ने ।3।
महाराणा प्रताप, सूरजमल, इनके सम्मुख आते ना
गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह अपनी तलवार उठाते ना
वीर शिवाजी और अमर सिंह मुगलों की जड़ें हिलाते ना
तो देश इस्लामिक हो जाता, वीर हकीकत शीश कटाते ना
देश की खातिर जान गंवाई, उन प्रेमी कई हजारों ने
भारत को बर्बाद कर दिया, इन धर्म के ठेकेदारों ने ।4।

* *एमटीएस, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

श्रमिकों के सरोकार और श्रम कानून में सुधार

राजेश कुमार कर्ण*

उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक श्रम ही है। मानव श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप पूँजी लगा दीजिए, मकान बन सकता है क्या, जब बनाने वाला मजदूर ही न हो? मजदूरों ने अपने खून–पसीने से हमारी उपलब्धियों को आधार दिया है और उसे सजाया–संवारा है। किंतु दुखद यह है कि समाज के हाशिए पर वे ही हैं और तमाम वंचनाओं के शिकार हैं। मजदूर का नाम लेते ही एक उपेक्षा का भाव आ जाता है जबकि मजदूर देश–निर्माता है। भारत में श्रमिक दो वर्गों में विभाजित हैं– एक संगठित क्षेत्र एवं दूसरा असंगठित क्षेत्र। श्रमिक चाहे संगठित हों या असंगठित, औद्योगिक हों या कृषि, प्रवासी हों या अप्रवासी, प्रत्येक वर्ग की अपनी समस्याएं एवं चुनौतियां हैं। संगठित श्रमिकों को सख्त श्रम कानूनों तथा नियमों का लाभ मिलता है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है। उन्हें विभिन्न सहूलियतें मिलती हैं। किंतु बड़ा हिस्सा (93%) असंगठित श्रमिकों का है जिनके लिए ये सहूलियतें अभी भी एक स्वप्न है। असंगठित नाम ही उनकी दुर्दशा का द्योतक है, जहां वेतन बहुत कम है एवं काम करने की स्थितियां बेहद खराब हैं। इन श्रमिकों में बुनकर, रिक्शा चालक, बीड़ी बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, फेरी लगाने वाले तथा घरेलू नौकर आदि शामिल हैं। अपनी आजीविका का स्थायित्व बोध न होने के कारण वे काफी हतोत्साहित रहते हैं। उनमें मानसिक असंतुलन एवं व्यवहारगत बीमारियों का खतरा भी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अपेक्षा ज्यादा होता है। आय एवं व्यय की असंगतता ने उनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वे बेहतर जीवन जी सकें। कई समस्याओं को अपने साथ लिए ये श्रमिक आजादी के 70 वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति पर लाचार एवं मूकदर्शक बने हुए हैं। यहां गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, संगठित क्षेत्र बहुत छोटा (7%) है, इसलिए लोगों को इन दवाबों के कारण असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जीडीपी की उच्च विकास दर के बावजूद असंगठित रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है जो चिंताजनक है। श्रमिकों की उपेक्षा किसी भी रूप में उचित नहीं है। सरकार को उनके रोजगार एवं सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए।

दूसरों के लिए अन्न जुटाने वाले कृषि मजदूरों को भूखे या आधे पेट खाकर रहना पड़ता है। दूसरे के लिए कई–कई मंजिल भवनों का निर्माण करके भी भवन मजदूर के पास अपना सिर ढकने के लिए उपयुक्त जगह नहीं होती। सड़क एवं भवन निर्माण में लगे श्रमिक, ईंट–भट्टा मजदूर, खान मजदूर, फैक्ट्री वर्कर जो कि निर्माण करता है– उनकी घोर अनदेखी की जा रही है। बहुत से मजदूर नियोक्ता/ठेकेदार के ऋण–जमा के जंजाल में फंसे हैं एवं न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कर बंधुआ/बलात श्रमिक कहलाने को अभिशप्त हैं। वे जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि ढो रहे हैं। ईंट–भट्टा एवं खदानों में मजदूरों को 12–14 घंटे विपरीत कार्यस्थितियों में कठोर श्रम करने के बावजूद उचित मजदूरी भी नहीं मिलता। नियोक्ता/ठेकेदार उनके साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करता है। वहां संविदा श्रम (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 का घोर उल्लंघन होता है। इन श्रमिकों को न तो श्रम कानूनों के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी ही मिलता है और न ही चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल व शौचालय की सुविधा ही। इसके चलते उन्हें अपना पेट पालने के लिए यहां अपने बीवी–बच्चे को भी खतरनाक कामों में लगाने की मजबूरी होती है। यहां उनके बच्चों के लिए न तो पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा है और न ही जीवन की सुरक्षा।

नौकरी में महिलाओं का जमकर शोषण होता है। उनके काम को कम तवज्जो दी जाती है। कार्यस्थल पर, सार्वजनिक स्थानों पर एवं परिवहन के दौरान– हर जगह वह शोषण के साये में जीती हैं। समकक्ष पुरूष कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन देकर या खराब परिस्थितियों में काम करवाकर तो कहीं कम वेतन पर अधिक काम करवाकर या कुछ बॉस/सहकर्मी की नाजायज मांगों द्वारा उनका

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

शोषण होता है। रोजगार संबंधी पसंद के मामले में भी महिलाओं को वैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जैसी पुरूषों को है। इसके परिणामस्वरूप श्रम के क्षेत्र में लैंगिक समानता के स्तर पर हम बहुत पीछे हैं। समान वेतन अधिनियम, 1976 के पारित होने के इतने वर्षों बाद भी महिला एवं पुरुषों के वेतन में असमानता बनी हुई है जिससे सभी उम्र, वर्ग, समुदाय एवं क्षेत्र की महिलाएं प्रभावित हैं। वेतन संबंधी असमानताएं दूर करने के लिए सुदृढ़ कानून तो बनाना ही होगा, दोषी कंपनियों पर भी दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। कम एवं असमान वेतन, खराब कार्य स्थिति एवं मातृत्व और बाल सेवा जरूरतों के कारण बहुत–सी महिलाएं काम छोड़ रही हैं।

गांव में रोजगार की अनुपलब्धता एवं मजदूरी की कम दर आदि के परिणामस्वरूप श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर की तलाश में शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है। हर रोज गांवों से बड़ी संख्या में लोग बेहतर भविष्य की चाह में शहरों की ओर उमड़ रहे हैं जिससे खेत बंजर हो रहे हैं एवं गांव वीरान। यहां अपनी सांसों की डोर बचाए रखने के लिए उन्हें कई जोखिम एवं यातना भरे कामों को करने के लिए विवश होना पड़ता है वह भी कम मजदूरी पर। आंखें खुलने से बंद होने तक सिर्फ काम, छुट्टी लें तो रोटी का संकट। ऐसे हालात में बहुत दिनों तक कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है? पेंशन के अभाव के कारण इन श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद भी काम करने को विवश होना पड़ता है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 38% बुजुर्ग काम कर अपनी जीविका जुटाते हैं।

आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता, जो पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही हैं, उन्हें राज्य द्वारा स्वयंसेवक के रूप में चिन्हित किया जाता है और सिर्फ नाममात्र का मानदेय दिया जाता है। वे नाममात्र के मानदेय पर भी काम करने को मजबूर होते हैं क्योंकि गरीब बेरोजगार होकर नहीं जी सकता है। उन्हें कामगार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें तमाम श्रम कानूनों का लाभ मिल सके। यही दुखद स्थिति नौकर–नौकरानियों एवं घरेलू सहायिकाओं की भी है, कामगार की श्रेणी में नहीं रखे जाने के कारण उनका भी शोषण होता है। नौकर–नौकरानियों एवं घरेलू सहायिकाओं पर अत्याचार आम बात है। वस्तुतः जिन्हें बदहाली मारती है उन्हें कुछ नेक लोगों को छोड़कर हर कोई सताता है।

वैश्वीकरण एवं नव–आर्थिक नीतियों के चलते स्थायी कामगारों की जगह ठेके पर काम कराने का चलन निजी के साथ–साथ सरकारी क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। देश के लगभग 3.6 करोड़ ठेका कामगारों में 32% कामगार सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठेका श्रम को विनियमित करने के लिए ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 को लागू किया गया है लेकिन यह अधिनियम 20 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों पर लागू है, इसलिए बड़ी संख्या में ठेके पर काम करने वाले श्रमिक इस अधिनियम के दायरे में आते ही नहीं। इसके परिणामस्वरूप इन श्रमिकों को न तो रोजगार सुरक्षा है और न ही चिकित्सा लाभ, पेंशन, न्यूनतम वेतन, अतिरिक्त कार्य के लिए ओवरटाईम और न ही व्यावसायिक जोखिमों की स्थिति में मुआवजा जबकि इस अधिनियम में ठेका श्रमिकों के लिए अनेक सुविधाओं की व्यवस्था है। विभिन्न स्टडी बताती है कि ठेका श्रमिक का वेतन स्थायी श्रमिक के वेतन के मुकाबले आधा से भी कम है। अधिकांश नियोक्ता/ठेकेदार विभिन्न हथकंडे अपनाकर ठेका श्रमिक को विभिन्न लाभों से वंचित करता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ठेका पर काम करने वाले, कैजुअल या डेली वेज वर्कर, अगर स्थायी कर्मचारी वाला ही काम कर रहा है तो वह समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकारी है। ठेका पर रखे गए श्रमिकों को भले ही स्थायी नहीं किया जाए किंतु चीन की तरह तीन से पांच वर्ष के लिए फिक्स्ड टर्म रोजगार के तहत उनका वेतन एवं अन्य सुविधाएं स्थायी कर्मचारी के बराबर दिया जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिसमें उनके परफारमेंस के आधार पर इस अवधि को बढ़ाने या घटाने की व्यवस्था हो।

अमीर नियोक्ता महंगे वकीलों एवं न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के माध्यम से काफी कुछ अपने पक्ष में करवाने में सफल होते हैं। गरीब एवं श्रमिक वर्ग को न्याय में देरी का सामना करना पड़ता है और वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पिसता रहता है। साथ ही, ट्रेड यूनियन की प्रतिरोधक शक्ति क्रमशः कमजोर होने से श्रमिक जुल्म सहने को मजबूर हैं। इतना होने के बावजूद बहुत से व्यापारियों–व्यवसायियों की यह मांग है कि श्रम बाजार को कानूनी नियमों से यथासंभव मुक्त किया जाए एवं लचीलापन (श्रमिकों को काम पर रखने एवं निकालने अर्थात 'हायर एंड फायर' की खुली छूट) लाया जाए क्योंकि ये व्यापार–व्यवसाय के साथ–साथ रोजगार की वृद्धि में भी बाधक हैं। वास्तव में, इससे तो उन्हें श्रमिकों का शोषण करने की खुली छूट मिल जाएगी। श्रमिक

के लिए नौकरी जाने या वेतन कटौती से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता।

अब तक कानूनों एवं नियमों को जरूरत के मुताबिक बदला जाता रहा है। श्रम कानूनों–नियमों में बदलाव कोई नई बात नहीं है। निश्चय ही उपयोगिता खो चुके कुछ पुराने एवं जटिल नियमों और कानूनों में बदलाव होना चाहिए, किंतु जो नियम–कानून देश के पिछड़ों, गरीबों एवं वंचितों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उनमें बदलाव का क्या औचित्य है? यह भी सच है कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून बनाकर नहीं किया जा सकता क्योंकि अशिक्षा, जनसंख्या में लगातार वृद्धि एवं जानकारी के अभाव के कारण उनकी तमाम समस्याएं जस की तस विस्तृत रूप में दिखाई पड़ती रहती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने श्रमिकों के सर्वांगीण हित के संदर्भ में ^Jeo t ; r* का उद्घघोष किया है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं रोजगार सुरक्षा देना है। इसके अंतर्गत श्रमिकों के जीवन में सुविधाएं बढाना, निरीक्षण की नई तकनीक की व्यवस्था, कार्य संस्कृति में बदलाव, होनहार छोत्रों को बेहतर अवसर देने पर जोर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई योजनाओं का समावेशन आदि शामिल है। 'श्रमेव जयते' का नारा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछली सरकारों के नजरिये में दिखी एक बड़ी गलती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ''सरकारों में बैठे लोग ही नहीं, बड़े–बड़े अर्थशास्त्री भी मजदूरों–कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को अकसर निवेशकों या उद्योगपतियों के ही चश्मे से देखने की गलती करते रहे हैं।'' इससे देश के निराश–हताश श्रमिकों में एक आशा की किरण जाग उठी है।

दशकों पुराने कुछ श्रम कानून उद्योगों तथा श्रमिकों एवं अंततः देश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आज की आवश्यकता के अनुरूप श्रम कानूनों में संशोधन जरूरी है। किंतु इसमें कठिनाई यह है कि श्रम कानूनों में संशोधन की पहल करने वाले को संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारणों से श्रम विरोधी ठहरा दिया जाता है। हमारे देश में वर्षों से माना गया कि श्रम कानून विकास, एफडीआई तथा रोजगार सृजन में बाधक हैं। ये दोनों एक्सट्रीम स्थिति हैं। सभी पक्षों को अब यह समझना पड़ेगा कि आज के युग में अंग्रेजों के जमाने के श्रम कानूनों से काम नहीं चल सकता। कानून का निर्माण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है जो समय–समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए समय–समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए एवं इसके अनुरूप इसमें तर्कसंगत संशोधन होनी चाहिए, नहीं तो इससे विकास बाधित होगा। नियोक्ता, ट्रेड यूनियन एवं सरकार तीनों मिलकर आपसी विचार–विमर्श से श्रमिक, उद्योग एवं देशहित में श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन करें तो बेहतर होगा। इन मुद्दों में सर्वसम्मति तो शायद ही बने किंतु काफी हद तक सहमति बन सकती है।

वास्तव में, बदलते वैश्विक परिवेश में मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन के जरिए अकार्यान्वयन की स्थिति, दोहराव, विचित्रता, अस्पष्टता एवं असंगतता को खत्म करना जरूरी है। इन संशोधनों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानकों को लागू करनेवाली विशेष धाराएं हों। वर्कमेन की परिभाषा अलग–अलग कानूनों में अलग–अलग दी गई है। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्रम कानूनों में संशोधन जरूरी है। श्रम सुधार को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी काफी उत्साहित हैं। तभी तो सत्ता संभालने के दो महीने के अंदर ही केन्द्रीय कैबिनेट ने श्रम कानूनों में 54 संशोधन प्रस्तावित कर दिए थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक श्रमिक की रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के साथ–साथ मंत्रालय ने श्रमिकों के गौरव का एहसास व उसे स्थापित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के मार्ग व गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रावधानों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाए हैं।

भारतीय संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है, अर्थात यह केन्द्र और राज्य दोनों से संबंधित विषय है। श्रमिकों से संबंधित कुल 45 अधिनियम हैं। इनमें से 44 अधिनियम संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्र के लोगों पर समान रूप से लागू हैं। चूंकि, यह 44 अधिनियम ज्यादातर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुंचाते हुए दिखते थे, इसलिए इस पर ध्यान देते हुए 93% का हिस्सा रखने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 निर्मित किया गया। श्रम कानून लगातार श्रमिकों के अधिकारों को बरकरार रखते आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017; संविदा श्रम (नियमन व उन्मूलन) सेंट्रल रूल्स, 1971; बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015; कर्मचारी वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016; बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016; कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016; तथा प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 जैसे कई कानून अमल में लाए गए हैं।

केन्द्र सरकार 44 श्रम कानूनों को चार लेबर कोड में बदलना चाहती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय श्रम कानूनों का सरलीकरण, एकीकरण एवं तर्कसंगत बनाने और उनके स्थान पर चार श्रम संहिताओं (Labour Code)– 1. मजदूरी विधेयक, 2015 पर श्रम संहिता; 2. औद्योगिक संबंध विधेयक, 2015 पर श्रम संहिता; 3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता; तथा 4. कार्य के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी स्थितियों पर श्रम संहिता को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। इससे बिना श्रमिकों के सुरक्षा, संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों/मानकों से समझौता किए बगैर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्तमान तथा भावी श्रमिक बल का सामाजिक–आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें अपना ही कल्याण करने योग्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार *मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना* जैसी कई योजनाएं लाई हैं। केन्द्र सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी को 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। मजदूरी में 42% की वृद्धि सराहनीय है। उम्मीद है, विभिन्न राज्य सरकारें भी यथाशीघ्र इस दिशा में कदम उठायेंगी। महंगाई दिनोंदिन असहनीय ढंग से बढ़ती जा रही है तथा जीएसटी के नाम पर बाजार का एकीकरण किया जा रहा है इसलिए ट्रेड यूनियन की यह मांग तार्किक लगती है कि श्रम का भी एकीकरण करते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 15000 रुपए प्रतिमाह किया जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 25 जुलाई, 2017 को हुई बैठक में वेतन श्रम संहिता विधेयक को मंजूरी दी गई जिसमें श्रम से जुड़े चार कानूनों– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को संशोधन के जरिए सरल एवं एकीकृत कर केन्द्र सरकार को देश के सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है। हालांकि, राज्य अपने क्षेत्र में केन्द्र सरकार के मुकाबले अधिक न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा सकेंगे। यह विधेयक संसद में यथाशीघ्र पेश किए जाने की संभावना है। फिलहाल केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक 18000 रुपए तक वेतन मिलता है। नया न्यूनतम वेतन नियम सभी उद्योग तथा कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों न हो।

बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने की दिशा में केन्द्र सरकार का रूख काफी सकारात्मक है। केन्द्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 लागू कर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगा दी है। किंतु इस कानून में यह गुंजाईश छोड़ दी गई है कि बच्चे पारिवारिक काम–धंधों में परिजनों (माता–पिता, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, मौसी आदि) का सहयोग कर सकेंगे। यह सर्वविदित तथ्य है कि ज्यादातर मामलों में रिश्तेदार ही बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। परिवार का दायरा माता–पिता तक ही सीमित रहे तो बेहतर है।

आज महिलाएं काफी तादाद में नौकरी तलाश रही हैं। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने नियोक्ता द्वारा पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की स्थिति में महिलाओं के लिए रात्रि के समय काम करने की इजाजत देने के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1948 में संशोधन किया है। किंतु कई राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध को बनाए रखा है। केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। यह अवकाश महिला के दो जीवित बच्चों की जरूरी देखभाल के लिए है। इसके अलावा बच्चे की दैनिक देखभाल की सुविधा का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। इसका लाभ सिर्फ संगठित क्षेत्र तक सीमित है। यह अधिनियम प्रसूति के दौरान महिलाओं की रोजगार की सुरक्षा करता है, इसलिए यह जरूरी है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को भी मातृत्व लाभ दिया जाए और इस अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए।

केन्द्र सरकार ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने एवं दंड को तर्कसंगत बनाने के लिए 9 अगस्त, 2016 को लोकसभा में कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित कराया। इस विधेयक में कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को औद्योगिक दुर्घटनाओं, खासकर व्यवसायगत बीमारियों की स्थिति में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। इस विधेयक के एक प्रावधान के अनुसार नियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कर्मचारी को इस एक्ट के तहत मुआवजा पाने के उसके हक के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न करने पर नियोक्ता पर पचास हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015 को 1 अप्रैल 2014 से लागू किया। संशोधित विधेयक में बोनस के लिए योग्यता सीमा को 10000 से बढ़ाकर 21000 रुपए कर दिया गया है एवं बोनस

की गणना की अधिकतम सीमा को 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हो रहा है। इसी तरह अप्रेन्टिस एक्ट में संशोधन करके अप्रेन्टिसों की संख्या बढ़ाई गई है और अप्रेन्टिस के दौरान मिलने वाले स्टैपेन्ड में भी बढ़ोतरी की गई है।

निर्माण क्षेत्र में मजदूरी, कामकाज की स्थितियों, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कल्याणकारी उपायों को विनियमित करने के उद्देश्य से निर्माण, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996 लागू किए गए। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के रोजगार को विनियमित करने और उनकी सेवा शर्तों को लागू करने के लिए अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 को लागू किया गया है। इस अधिनियम में प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थानीय कर्मचारियों के समान वेतन, वेतन के साथ समय–समय पर घर लौटने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा एवं रोजगार स्थल पर आवास आदि अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं, लेकिन इन प्रावधानों को अनदेखा किया जा रहा है और वे बदतर स्थिति में रहने को बाध्य हैं। इसके अलावा, खान मजदूर, सिनेमा कर्मचारी, बीड़ी और सिगार श्रमिक, मैला ढ़ोने वालों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कानून हैं लेकिन इसकी जानकारी के अभाव एवं इन कानूनों का ठीक से कार्यान्वयन न होने के कारण इन मजदूरों की स्थिति शोचनीय बनी हुई है। मैला ढ़ोने के रोजगार पर निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हाथ से मैला उठाने, सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की असुरक्षित सफाई पर प्रतिबंध है। कानून का पालन नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष की कैद एवं 50,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है किंतु कहीं भी शहर की सफाई के महत्वपूर्ण काम में लगे सफाईकर्मियों को सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण नहीं दिए जाते। परिणामतः तमाम नियमों–कानूनों के बावजूद सीवर में सफाईकर्मियों का मरना जारी है।

साथ ही, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा की राज्य सरकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; कारखाना अधिनियम, 1948; एवं संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन किया है तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों में इसी तर्ज पर संशोधन विचाराधीन हैं।

श्रम कानूनों में इन संशोधनों का अधिकांश व्यापारी–व्यवसायी तो स्वागत कर रहे हैं किंतु ट्रेड यूनियनों का कहना है कि श्रम सुधार एवं आर्थिक सुधार मजदूर विरोधी हैं, श्रम सुधारों से श्रमिकों की नौकरी से छंटनी आसान होगी एवं ट्रेड यूनियन बनाना कठिन होगा। विदेशी निवेश, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। श्रम कानूनों से ही मजदूरों का शोषण से बचाव होता था, सरकार अब श्रम कानूनों में बदलाव करके मजदूर शोषण का ये हथियार नष्ट करना चाहती है। इसलिए इन सुधारों को वापस लिया जाए। जबकि सरकार का दावा है कि विकास के मद्देनजर श्रम कानूनों में बदलाव जरूरी हैं।

श्रम कानूनों में संशोधन के अलावा केन्द्र सरकार ने कामगार वर्ग के हित में अनेक प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। 16 अक्तूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने *श्रम सुविधा पोर्टल* लॉन्च कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत चार मुख्य संगठनों– कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय को एक प्लेटफार्म पर ला दिया। इस पोर्टल ने इनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की है जिससे श्रम कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन हो पा रहा है।

20 जुलाई 2015 को 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन के दौरान *नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल* लांच किया गया। सभी रोजगार कार्यालय इससे जुड़े हैं। नौकरी के लिए इस पोर्टल ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के लगभग 3000 पेशों की पहचान की है और नौकरी खोजने तथा नौकरी देनेवालों के बीच किसी मध्यस्थ की तरह काम कर रहा है। यह कैरियर सलाह, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम, अप्रेन्टस्शिप आदि रोजगार से संबंधित सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान कर रहा है।

टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव केन्द्रीय कैबिनेट में भेजा जा चुका है, वहां से मंजूरी मिलते ही पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 में संशोधन किया जाएगा। अभी तक पांच वर्ष की नौकरी पूरी करने पर ही कर्मचारी ग्रेच्युटी के योग्य होता है। सरकार इस समय सीमा को कम करने पर विचार कर रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रस्ताव पर यदि सहमति बन गई तो एक साल बाद नौकरी छोड़ने वाला या निकाला जाने वाला कर्मचारी भी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। इससे प्राइवेट एवं सरकारी क्षेत्र के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' पहल के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन, निरीक्षण

आदि को सरल बनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिले। देश में अलग–अलग श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए नियोक्ता को 56 अलग–अलग रजिस्टरों में जानकारी भरनी होती थी, एक ही जानकारी बार–बार अलग–अलग रजिस्टरों में भरी जाती थी। किंतु फरवरी 2017 में केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि अब नियोक्ता को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत 56 के बजाय मात्र 5 रजिस्टर मेन्टेन करने होंगे। व्यापार–व्यवसाय को आसान बनाने में यह उद्यमियों की काफी मदद करेगा। तेज आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारों की वजह से भारत में कारोबार करना लगातार आसान होता जा रहा है। एफडीआई कानूनों में बड़े पैमाने पर उदारीकरण के कारण पिछले तीन वर्षों में एफडीआई 28.2% की तेज गति से बढ़ा है, फिर भी रोजगार की दर घटी है। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। बहुत से युवा नौकरी में नहीं हैं, मगर बेरोजगार भी नहीं हैं, वे ट्यूशन, पार्ट टाईम या छोटा–मोटा कोई काम करते हैं ताकि खाने व रहने के साथ ही कुछ जेब खर्च निकल जाए। रोजगार विहीन विकास की स्थिति जारी है। जो युवा रोजगार में हैं, उनमें से बहुतों को व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बाद भी बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। वे बेहतर वेतन एवं सुविधा की चाह में विदेश, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, हालैंड, जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड तथा खाड़ी देश, का रूख कर रहे हैं। भारत की प्रतिभाएं दुनियाभर में अपनी सफलताओं के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं, इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि दूसरी धरती उनके स्वागत के लिए लालायित बैठी हो। उनपर तरह–तरह से कड़ाई की जा रही है, बहुतों को धोखाधड़ी का भी शिकार होना पड़ता है एवं कठोर शारीरिक श्रम एवं जोखिम वाला काम करना पड़ता है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो विदेश में रोजगार की संभावना देख रहे लोगों की राह तो आसान करे ही, उन्हें वहां बेहतर वेतन के साथ स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण की गारंटी भी दिला सके।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई *स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, एस्पायर, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री युवा योजना* आदि के माध्यम से भी दिनानुदिन अधिक से अधिक रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। केन्द्र सरकार ने *मुद्रा योजना* के तहत पिछले ढाई वर्षों में 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उद्यमियों को देकर लगभग 7.28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है जो उल्लेखनीय है। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वाकांक्षी कौशल विकास अभियान *स्किल इंडिया* की शुरूआत की एवं वर्ष 2022 तक 40.02 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा। कौशल विकास वास्तव में सबसे बड़ी बीमा, सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो कुशल है, बाजार में उसकी मांग है इसलिए उसके पास सारे साधन उपलब्ध हैं या भविष्य में हो सकते हैं। *स्किल इंडिया* के अंतर्गत 20 से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को बेहतर कौशल, रोजगार एवं मेहनताना मिल सके।

देश के पास विशाल युवा आबादी का फायदा है एवं उनपर आश्रित रहने वाले बुजुर्गों तथा छोटे बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसी सुखद स्थिति को जनांकिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिवीडेंड) भी कहते हैं। भारत अपने जनांकिकीय लाभांश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं का पा रहा है। भारत में कार्यशील आबादी की भागीदारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में 53%, अमेरिका में 68%, चीन में 70%, जर्मनी में 75% तथा जापान में 80% है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत जनांकिकीय लाभांश की तुलना में रोजगार के पारम्परिक एवं नए अवसर सृजित करने में सफल नहीं हुआ है। युवाओं को यदि अद्यतन कौशल विकास (जिसे उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है) से जोड़ दिया जाए और व्यापार–व्यवसाय एवं विदेशी निवेश बढ़ाने के मार्ग की मुख्य बाधा– बिजली–सड़क आदि आधारभूत संरचना की कमी, लचर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नौकरशाही, लालफीताशाही, भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण सहित विभिन्न मंजूरी लेने के जटिल पचड़े आदि को दूर कर दिया जाए तो इससे उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। इससे आने वाले एक–दो दशकों में भारत की कुशल श्रम शक्ति देश–दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। भारत के पास महाशक्ति बनने का बेहतरीन अवसर मौजूद है। भारत यदि प्रभावी सुधारों की ओर कदम बढ़ाने के बजाय घिसे–पिटे एवं पुराने तौर–तरीकों पर चलता रहा तो युवा आबादी की ऊर्जा का दुरूपयोग आपराधिक व विध्वंसात्मक गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। आज बहुत से युवा उपयुक्त रोजगार के अवसर के अभाव में नशाखोरी, आपराधिक प्रवृत्ति, आतंकवाद तथा नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

वस्तुतः श्रमिकों के अधिकारों के लिए तमाम नियम–कानून बने हुए हैं, पर उन्हें ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी तय है (जो काफी कम है एवं राज्यों में काफी असमान है), पर उसका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। हालांकि वस्तुओं की

कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, उस हिसाब से वास्तविक मजदूरी की दरों में वृद्धि नहीं हो पायी है। मजदूरी महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहनी चाहिए। भारत विश्व में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है इसलिए अब श्रमिकों को मिनिमम वेज से ज्यादा लिविंग वेज दिया जा सकता है ताकि उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा आदि मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। उनकी सैलरी न बाजार मानकों के अनुरूप है और न ही जिम्मेदारियों के बोझ के अनुरूप। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन–भत्ते में बढ़ोतरी हुई है एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के भी वेतन–भत्ते बढ़ेंगे। लेकिन अधिकांश प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन इस अनुपात में नहीं बढ़ी है। वेतन–भत्तों में बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे दिनों का संकेत तो हैं ही, देश के बाकी वर्गों को भी इन्हीं दिनों का इंतजार है। भारत की तुलना में चीन में मजदूरी लगभग दुगुनी है, फिर भी मालिकों का मुनाफा ज्यादा है, तो भारत में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

श्रमिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न श्रम कानून तथा प्रशासनिक पहल के तहत मिलने वाले कई लाभों से वंचित हैं। उद्योगपति संगठित होकर अपनी बाते मनवातें हैं, रियायतें और सुविधाएं पाते हैं। श्रमिकों को भी संगठित होकर इन लाभों के लिए श्रमिकों को एकजुट होने एवं राजनैतिक शक्ति के रूप में खड़ा होने की जरूरत है। कार्ल मार्क्स ने कहा था 'दुनिया के मजदूरों, एक हो'। बात मात्र मजदूरों के एकजुट होने से नहीं बनेगी बल्कि सत्ताधारी लोगों/सरकारी अधिकारियों को मजदूरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह तथा एकजुट होने की भी आवश्यकता है।

देश में बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलाव हो रहा है किंतु उस गति से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उद्योग को विशेष परिस्थितियों में लचीलापन जरूरी चाहिए किंतु श्रमिकों में भी असुरक्षा का भाव नहीं होनी चाहिए। उनके लिए विकसित देशों की तरह नौकरी छूटने पर पर्याप्त मुआवजा, बेरोजगारी भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम होनी चाहिए। कॉरपोरेट/उद्योग जगत यदि इसमें सक्षम न हों तो सरकार उनकी मदद करे। श्रमिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए।

भारत में वर्ष 1991 में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की आर्थिक नीति को अपनाया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हीं क्षेत्रों में पूंजी निवेश कर रही हैं, जहां भारतीय उद्योग–धंधे पहले से ही लाभ कमा रहे हैं। ऐसे में भारतीय उद्योग–धंधों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां रूपी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घरेलू उद्योग–धंधों की समाप्ति से बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह जापान तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की भांति अपने उद्यमों तथा श्रमिकों के साथ संरक्षात्मक नीति लागू रखे। आज वैश्वीकरण के दौर में जो सस्ते दाम में बाजार में चीजें बेचेगा वही बाजार में टिकेगा। इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं– एक, उत्पादन खर्च कम करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए। इसलिए सारी दुनिया में विलय एवं अधिग्रहण हो रहा है ताकि खर्चे कम हों। दूसरा तरीका है– मजदूरों पर खर्चा कम करना। इसलिए हर जगह "मैनपॉवर घटाओ, वर्कलोड बढ़ाओ और जिंदगी के स्तर को घटाओ" की होड़ चल रही है। निवेशकों को अपने साथ रखने के लिए सरकार प्रायः अपनी खर्च एवं सब्सिडी में कमी लाते हैं। इसका दुष्परिणाम होता है मजदूरों के अधिकारों एवं सुविधाओं में कटौती, बेरोजगारी में वृद्धि, आमदनी में असमानता और गरीबी में वृद्धि। दुनिया के मजदूरों के जीवन–स्तर में जो विषमता है उसे दूर करने और उसमें समानता लाने की सार्थक कोशिश होनी चाहिए। पूंजीवाद के बजाय समाजवाद यह कर सकता है। आज जनता एवं सरकार की मनःस्थिति में समाजवाद के प्रति इच्छाशक्ति, ललक को जगाने की जरूरत है।

निष्कर्षतः विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों के वेतन, सुविधा, सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित प्रावधान हैं किंतु इन कानूनों का ज्ञान श्रमिकों को नहीं है। उद्योगों, प्रतिष्ठानों तथा ठेकेदारों द्वारा इन कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है और कई स्तरों पर व्याप्त अनियमितताएं एवं संवेदनहीनता के कारण इसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश श्रमिक इसके लाभ से वंचित हैं, उनका चौतरफा शोषण हो रहा है और वे अपने को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। रोजगार के संगठित तथा असंगठित किसी भी क्षेत्र में शोषण करने वालों के विरुद्ध कठोर विधायी व्यवस्था बनाना जरूरी है। श्रमिक हितैषी कानूनों और नीतियों के निर्माण के अलावा इनके कारगर क्रियान्वयन पर अब ज्यादा ध्यान देना होगा। विकास के साथ–साथ मानव विकास भी जरूरी है। श्रमिक को छोड़कर देश कहाँ है? देश के अधिकांश लोग श्रमिक हैं। श्रमिकों एवं श्रमिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए भविष्य में एक समग्र सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास जरूरी है। यह सही है कि रोजगार के अवसर सृजित करने वाले नियोक्ता अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके हितों की रक्षा में श्रमिकों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि श्रम सुधारों की प्रक्रिया में श्रमिकों के मौलिक अधिकारों और जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

कहानी

पंच-परमेश्वर

मुंशी प्रेमचंद

जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन–देन में साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गये थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गये थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते, जो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ने खान–पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का का मूल मंत्र भी यही है।

इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ, जब दोनों मित्र बालक ही थे, अैर जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ माँजी, खूब प्याले धोये। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा–सुश्रुषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है, गुरु जी के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा–दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ, तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी, विद्या उसके भाग्य में न थी, तो कैसे आती?

मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा थ, और उसी सोटे के प्रताप से आज आस–पास के गाँवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैमाने पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हलक़े का डाकिया, कांस्टेबिल और तहसील का चपरासी – सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदरपात्र बने थे।

जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी–सी मिलकियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे–चौड़े वादे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर–सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाये गये। हलवे–पुलाव की वर्षा–सी की गयी, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज, तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गये। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं।

बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी। दो–तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है! बघारी दाल के बिना रोटियाँ नहीं उतरतीं! जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गाँव मोल ले लेते।

कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया जब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी–गृहस्वामी– के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यों ही रो–धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा–बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका–खा लूँगी।

जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया–रुपये क्या यहाँ फलते हैं?

खाला ने नम्रता से कहा– मुझे कुछ रूखा–सूखा चाहिए भी कि नहीं?

जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया– तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आयी हो?

खाला बिगड़ गयीं, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हँसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हँसता है। वह बोले– हाँ, जरूर पंचायत करो। फैसला हो जाय। मुझे भी यह रात–दिन की खटपट पसंद नहीं।

पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आस–पास के गाँवों में ऐसा कौन था, जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था, जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं।

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिये आस–पास के गाँवों में दौड़ती रहीं। कमर झुक कर कमान हो गयी थी। एक–एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था।

बिरला ही कोई भला आदमी होगा, जिसके सामने बुढ़िया ने दुःख के आँसू न बहाये हों। किसी ने तो यों ही ऊपरी मन से हूँ–हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय

पर जमाने को गालियाँ दीं! कहा– कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती–बारी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, जिन्हें हास्य–रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुँह, सन के–से बाल इतनी सामग्री एकत्र हो, तब हँसी क्यों न आवे? ऐसे न्यायप्रिय, दयालू, दीन–वत्सल पुरुष कम थे, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम–घामकर बेचारी अलगू चौधरी के पास आयी। लाठी पटक दी और दम ले कर बोली – बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना।

अलगू– मुझे बुला कर क्या करोगी? कई गाँव के आदमी तो आवेंगे ही।

खाला–अपनी विपद तो सबके आगे रो आयी। अब आने–न–आने का अख्तियार उनको है।

अलगू–यों आने को आ जाऊँगा, मगर पंचायत में मुँह नहीं खोलूँगा।

खाला–क्यों बेटा?

अलगू– अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है। उससे बिगाड़ नहीं कर सकता।

खाला–बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?

हमारे सोये हुए धर्म–ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाय, तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूँज रहे थे– क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?

संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के–तम्बाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था, तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे।

जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरु हुई। फर्श की एक–एक अंगुल जमीन भर गयी, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाषयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे, जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णयक करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुँआ निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर–उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली–गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गाँव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझ कर झुंड के झुंड जमा हो गये थे।

पंच लोग बैठ गये, तो बूढ़ी खाला ने
उनसे विनती की–

'पंचो, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भानजे जुम्मन के नाम लिखवा दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता–हयात रोटी–कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो–धोकर काटा। पर अब रात–दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। वेकस बेवा हूँ। कचहरी–दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुःख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूँ। अगर मुझमें कोई ऐब देखो, तो मेरे मुँह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो, तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है! मैं पंचों का हुक्म सिर–माथे पर चढ़ाऊँगी।'

रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गाँव में बसा लिया था, बोले– जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। फिर जो कुछ पंच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा।

जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पड़े, जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले– पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें, उसे बदें। मुझे कोई उज्र नहीं।

खाला ने चिल्ला कर कहा– अरे अल्लाह के बंदे! पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो।

जुम्मन ने क्रोध से कहा–अब इस वक्त मेरा मुँह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो, पंच बदो।

खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गयीं, वह बोलीं–बेटा, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुष्मन। कैसी बात कहते हो! और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो; अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ।

जुम्मन आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले – अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू।

अलगू इस झमेले में फँसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले–खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है।

खाला ने गंभीर स्वर में कहा– बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुँह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरफ से निकलती है।

अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा।

अलगू चौधरी बोले– शेख जुम्मन! हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा, तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा, तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर, इस समय तुम और बूढ़ी खाला, दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी है, करो।

जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत–चित्त होकर बोले–पंचो, तीन साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ता–हयात खाना–कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है; मगर औरतों मे जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग माँगती हैं। जायदाद जितनी है, वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूँ। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं। नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें, करें।

अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरु की। एक–एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी–कैसी बातें कर रहा था! इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गयी कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है? क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी?

जुम्मन शेख तो इसी संकल्प–विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया–

जुम्मन शेख! पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति–संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाय। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस, यही हमारा फैसला है, अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, तो हिब्बानामा रद्द समझा जाय।

यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गये। जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर–फेर के सिवा और क्या कहें? जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे–सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलियुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी–धोखेबाज न होते, तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता? यह हैजा–प्लेग आदि व्याधियाँ दुश्कर्मों के ही दंड हैं।

मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति–परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे–इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती, दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती।

इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ–साथ बातें करते दिखाई नहीं देते। इतना पुराना मित्रता–रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था।

उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते–जुलते थे, मगर उसी तरह, जैसे तलवार से ढाल मिलती है।

जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले।

अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाये थे। बैल पछाहीं जाति के सुंदर, बड़े–बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आस–पास के गाँव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन का पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा–यह दगाबाजी की सजा है। इन्सान सब्र भले ही कर जाय, पर खुदा नेक–बद सब देखता है। अलगू का संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा– जुम्मन ने कुछ कर–करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद–विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द–बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी

तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डाँट–डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गये। उधर अलगू चौधरी ने समझाने–बुझाने का काम अपने तर्क–पूर्ण सोंटे से लिया।

अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूँढ़ा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गाँव में एक समझू साहू थे, वह इक्का–गाड़ी हाँकते थे। गाँव के गुड़–घी लादकर मंडी ले जातक, मंडी से तेल, नमक भर लाते और गाँव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन–भर में बेखटके तीन खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल–भौंरी की पहचान करायी, मोल–तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बाँध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवा न की।

समझू साहू ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन–तीन, चार–चार खेपें करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गये, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचार जानवर अभी दम भी न लेने पाया था फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी। बैलराम छठे–छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते–कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था–साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी–कभी घी का स्वाद भी चखने का मिल जाता था। शाम–सबेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख–चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत! महीने भर में ही पिस–सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक–एक पग चलना दूभर था। हड्डियाँ निकल आयी थीं, पर था वह पानीदार, मार की बरदाश्त न थी।

एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन–भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला गया। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूँ, पर साहू जी को जल्द पहुँचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अबकी बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टाँग पकड़ कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूँस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है? तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देख, खोल कर अलग किया, और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे–चिल्लाये, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह साँझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया। आस–पास कोई गाँव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाये और कोसने लगे–अभागे! तुझे मरना ही था तो घर पहुँच कर मरता। ससुरा बीच रास्ते में मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे? इस तरह साहू जी खूब जले–भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे, दो–ढाई सौ रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़ कर भी न जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गये। वहीं रतजगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया। फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थैली गायब! घबरा कर इधर–उधर देखा, तो कई कनस्तर तेल भी नदारत! अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते–बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले तो रोयी, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी–निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गयी।

इस घटना को हुए कई महीने बीत गये। अलगू जब अपने बैल के दाम माँगते तब साहू और सहुआइन, दोनों ही झल्लाये हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड–बंड बकने लगते–वाह! यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गयी, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम माँगने चले हैं! आँखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बाँध दिया, हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है! हम भी बनिये के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड़हे में मुँह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो, हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जोत लो। और क्या लोगे?

चौधरी के अशुभचिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु डेढ़ सौ रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूँढ़ने घर में चले गये। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते–होते हाथापाई की नौबत आ पहुँची। सहुआइन ने घर में घुस कर किवाड़ बंद कर लिये। शोरगुल सुनकर गाँव के भलेमानस जमा हो गये। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह काम न चलेगा। पंचायत कर लो जो कुछ तय हो जाय, उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गये। अलगू ने भी हामी भर ली।

पंचायत की तैयारियाँ होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने–अपने दल बनाने शुरू किये। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौए पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है कि नहीं; और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाय, तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक–मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता।

पंचायत बैठ गयी, तो रामधन मिश्र ने कहा–अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस–किस को पंच बदते हो।

अलगू ने दीन भाव से कहा–समझू साहू ही चुन लें।

समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले– मेरी ओर से जुम्मन शेख।

जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्–धक् करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को ताड़ गये। पूछा – क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं।

चौधरी ने निराश हो कर कहा– नहीं, मुझे क्या उज्र होगा ?

viu mÙkjnkf;Ro dk Kku cg/kk gekj lidfpr 0;ogkjk dk l/kkjd gkrk gA tc ge jkg Hkydj HkVdu yxr g rc ;gh Kku gekjk fo'oluh; iFk&çn'kd cu tkrk gA

पत्र–संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह मंत्रिमंडल में शामिल होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। माता–पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं! वे उसे कुल–कलंक समझते हैं; परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित–चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांतचित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है।

जुम्मन शेख के मन में भी सरंपच का स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुँह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदृश है–और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जी भर भी टलना उचित नहीं।

पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल–जवाब शुरु किये। बहुत देर तक दोनों दल अपने–अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाह रहे थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के व्यक्ति समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया–

अलगू चौधरी और समझू साहू! पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिये जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने–चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया।

रामधन मिश्र बोले–समझू ने बैल को जान–बूझ कर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए।

जुम्मन बोले–यह दूसरा सवाल है। हमको इससे कोई मतलब नहीं।

झगडू साहू ने कहा–समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए।

जुम्मन बोले–यह अलगू की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करें, तो उनकी भलमनसी।

अलगू चौधरी फूले न समाये। उठ खड़े हुए और जोर से बोले–पंच–परमेश्वर की जय!

इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई– पंच–परमेश्वर की जय!

प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था– इसे कहते हैं न्याय! यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है?

थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आये और उनके गले लिपट कर बोले– भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण–घातक शत्रु बन गया था; पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझायी हुई लता फिर हरी हो गयी।

समाज के श्वेत एवं स्याह पहलू

विभिन्न स्रोतों से संकलित*

1- lekt ,o ifjokj

1-1½ ijk lekt ejk ifjokj½ ikye dY;k.klqnje] lkekftd dk;ZdrkZ

तमिलनाडु में तिरुनेलवली जिले के एक छोटे से गाँव मेलाकारुवेलनगुलम के रहने वाले पालम कल्याणसुंदरम अपने समय में स्कूल जाने वाले गाँव के अकेले बच्चे थे। जब वे एक साल के ही थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। माँ ने उन्हें पाला। पति की मौत के बाद बेटे का पढ़ा–लिखाकर नेक इंसान बनाना उनके जीवन को एकमात्र उद्देश्य बन गया था। कल्याणसुंदरम बताते हैं कि माँ ने उन्हें तीन बाते सिखाईं। कभी लालच मत करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो तथा हर दिन एक नेक काम करो। कॉलेज के दिनों से ही वह आस–पास के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगे। 1962 में वह मद्रास विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। भारत–चीन युद्ध के दौरान उन्होंने रेडियो पर नेहरू जी का संदेश सुना। वह देशवासियों से रक्षाकोष में दान देने की अपील कर रहे थे। वह तुरंत मुख्यमंत्री कामराज के पास गए और अपने गले से सोने की जंजीर उतार कर कोष में जमा करने के लिए दे दी। मुख्यमंत्री इतना प्रभावित हुए कि मई दिवस पर कल्याणसुंदरम को सम्मानित किया गया।

पढ़ाई के बाद उन्हें विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। उन्होंने शादी नहीं की। उनका जीवन सादा था। साधारण से घर में रहना, दो जोड़ी कपड़े में गुजारा, पैदल चलना और खुद पकाकर खाना। जरूरतें कम थीं, लिहाजा वेतन का कुछ ही हिस्सा खर्च कर पाते थे। बाकी पैसे बच्चों के लिए दान करने लगे। बाद में मदद करने का जुनून इतना चढ़ा कि वह पूरा वेतन दान करने लगे। नौकरी के पूरे 35 साल यह सिलसिला चला। कल्याणसुंदरम कहते हैं, वेतन के पैसों से गरीब बच्चों को स्कूल जाता देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता था। 1990 में उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से एक लाख रुपए का बकाया मिला। उन्होंने पूरी धनराशि जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि आप इसे अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च कीजिए। जिलाधिकारी के जरिये यह बात मीडिया तक पहुंची। पहली बार पूरे शहर को इस दानवीर के बारे में पता चला। यह खबर सुपरस्टार रजनीकांत तक भी पहुंची। वह उनसे मिलने पहुंचे। अभिनेता ने उन्हें बतौर पिता गोद लेने का एलान किया। वह कल्याणसुंदरम को अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, पर वह राजी नहीं हुए।

1998 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पालम नाम की संस्था बनाई। भविष्य निधि के दस लाख रुपए संस्था को दान कर दिए। हर महीने की पेंशन भी दान में जाने लगी। खुद के गुजारे के लिए वह होटल में काम करने लगे। कल्याणसुंदरम कहते हैं, मैंने शादी नहीं की। मेरी जरूरतें बहुत कम हैं। अपने गुजारे के लिए मैं होटल में काम करता हूँ। मेरी खर्च निकल जाता है। मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है।

वह अपनी सारी पैतृक संपत्ति सामाजिक संस्था को दान कर चुके हैं। उन्होंने मरने के बाद अपनी आँखें और शरीर दान देने का एलान भी किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें बीसवीं शदी के बेमिसाल लोगों में शुमार किया था। एक अमेरिकी संस्था ने उन्हें "मैन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड" से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्हें बतौर इनाम 30 करोड़ रुपये मिले। यह पैसा भी उन्होंने दान कर दिया। कल्याणसुंदरम कहते हैं, इस दुनिया में हर इंसान मृत्यु के बाद खाली हाथ जाता है। फिर संपत्ति जोड़ने की होड़ कैसी? दूसरों के लिए जियो, बड़ा सुकून मिलेगा।

1-2½ ikd e 96 cPpk d rhu firk cky] vYYkkg j[kxk [;ky

दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जन्मदर वाले देश पाकिस्तान में 19 साल बाद हुई जनगणना में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वहाँ के एक कबायली इलाके बन्नू में तीन ऐसे पुरुषों का पता चला है, जिनके कुल मिलाकर 96 बच्चे हैं। इनका कहना कि अल्लाह परिवार को पालने में मदद करेगा। इन्हीं तीनों में से एक गुलजार खान 36 बच्चों के पिता हैं। हालांकि वह बच्चों की परवरिश या नौकरी को लेकर फिक्रमंद नहीं हैं। 57 वर्षीय गुलजार बन्नू शहर में अपनी तीसरी पत्नी, जो गर्भवती है, के साथ रह रहा है। गुलजार ने कहा, 'इस्लाम हमें परिवार नियोजन से रोकता है। अल्लाह ने पूरी कायनात और सभी इंसानों को बनाया है तो मुझे बच्चे के जन्म की प्राकृतिक

---

* संकलन – बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

प्रक्रिया क्यों रोकनी चाहिए।' गुलजार के भाई वजीर के 22 बच्चे और तीन बीबियां हैं। वजीर को भी भरोसा है कि अल्लाह परिवार को पालने में मदद करेगा। क्वेटा के रहने वाले जान मोहम्मद के 38 बच्चे हैं और वह सौ बच्चों की उम्मीद पाले हुए हैं। वह चौथी बीवी की तलाश में हैं। मोहम्मद ने कहा, हमारे जितने ज्यादा बच्चे होंगे, दुश्मन उतना ज्यादा डरेंगे।

2- efgyk l'kfDrdj.k

2-1% vkbZ,,l Vkij%

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2016 का परीक्षाफल 31.05.2017 को घोषित किया। कर्नाटक की नंदिनी के. आर. ने देश की इस सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। लगातार तीसरे साल सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान एक महिला अभ्यर्थी को हासिल हुआ है। इससे पहले सिविल सेवा परीक्षा 2014 में इरा सिंघल और 2015 में टीना डाबी टॉपर रही थीं। इन तीन सशक्त महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:

i½ bjk fl?ky% सिविल सेवा परीक्षा 2014 की टॉपर इरा सिंघल शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। इरा ने 2010 में सिविल सेवा परीक्षा दी थी और तब उन्हें 815वीं रैंक मिली तथा वह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में नियुक्ति की हकदार थीं। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने की वजह से उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। उन्होंने हार नहीं मानी और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केस दायर किया। 2014 में केस जीतने के बाद उन्हें हैदराबाद में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा में सहायक उपायुक्त के पद पर नियुक्ति मिली। इस बीच उन्होंने अपनी रैंक सुधारने के लिए कोशिशें जारी रखीं। आखिरकार अपने चौथे प्रयास में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी में टॉप किया। इरा रीढ़ से संबंधित बीमारी स्कोलियोसिस से जूझ रही हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी को कभी आड़े नहीं आने दिया और उनकी सफलता इसी बात का प्रमाण है।

ii½ Vhuk Mkch% 22 साल की टीना डाबी ने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा 2015 में प्रथम स्थान हासिल करते हुए सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया। वह शुरु से ही इसके लिए मेहनत कर रही थीं और परीक्षा में टॉप करना उनकी मेहनत का ही परिणाम था। एक टीवी चैनल से बात करते हुए टीना ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ के नाम किया। टीना ने कहा, 'सब कुछ मेरी माँ की वजह से ही हुआ। माँ ने बारहवीं के बाद ही मुझे सिविल सेवा की तैयारी करने को कहा। मैंने 20 साल की उम्र में स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। इसके बाद मुझे एक साल मिला और परीक्षा की तैयारी करने में यह साल काफी उपयोगी रहा।'

iii½ ufnuh d- vkj-% कर्नाटक के कोलार जिले की रहने वाली नंदिनी ने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है। सिविल सेवा परीक्षा 2016 की टॉपर नंदिनी ने कहा कि वह हमेशा से आईएएस बनना चाहती थी। नंदिनी को सिविल सेवा परीक्षा 2014 में 894वीं रैंक के साथ आईआरएस मिला था। नंदिनी ने कहा, 'मैंने 2015 में भी परीक्षा दी थी परंतु सफल नहीं हो सकी। मैंने हार नहीं मानी। मैंने 2016 में एक बार फिर परीक्षा दी और परिणाम सबके सामने है। टॉप करना वाकई अद्भुत अनुभव है।'

यूपीएससी के नतीजों से नारी सशक्तिकरण का अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का प्रशासनिक क्षेत्र में सामने आना बदलते भारत और समाज का सूचक है। इससे यह बात साबित होती है कि लड़कियां पढ़ रहीं, आगे बढ़ रही हैं, वे किसी से भी कम नहीं हैं और वे किसी भी क्षेत्र में खुद को साबित करने में सक्षम हैं।

2-2% nhfIr 'kekZ vkj iue jkmr us cuk;k efgyk ,d&fnolh; fØdsV esa lk>snkjh dk fo'o fjdkMZ

सेनवेस पार्क, पोचेफ्सट्रूम, दक्षिण अफ्रीका में 15 मई 2017 को खेले गये एकदिवसीय मुकाबले में भारत की दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने आयरलैंड के खिलाफ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 320 रनों की साझेदारी निभाई। इसके परिणामस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 3 विकेट पर 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम सिर्फ 109 रन बनाकर आउट हो गयी। इस तरह भारत ने आयरलैंड को रिकॉर्ड 249 रनों के बड़े अंतर से हराया। दीप्ति शर्मा और पूनम राउत के बीच पहले विकेट के लिए हुई रिकॉर्ड 320 रनों की यह साझेदारी महिला एकदिवसीय क्रिकेट में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी के साथ ही एकदिवसीय क्रिकेट मैचों में पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी भी है। पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट मैचों में पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी 286 रनों की है जो श्रीलंका के उपुल थरंगा एवं सनत जयसूर्या ने 2006 में इंग्लैंड के विरुद्ध निभाई। इस

मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' दीप्ति शर्मा ने 27 चौकों और 02 छक्कों के साथ 188 रनों की पारी खेली, जो भारत की ओर से सबसे बड़ी और विश्व महिला क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी पारी है। उनसे ज्यादा रन एक पारी में सिर्फ आस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क (229 रन) ने डेनमार्क के विरुद्ध 1997 के विश्व कप में बनाये थे।

2-3% fnYyh eSVªks% tc dkVus okyk esa 90 çfr'kr efgyk,¡

मेट्रो की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से चलाए गए अभियान में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वर्ष 2017 में जून के पहले हफ्ते तक सीआईएसएफ ने 329 जेबकतरे पकड़े। इनमें से 90 फीसदी महिलाएं थीं। वर्ष 2016 में सीआईएसएफ द्वारा पकड़े गए 479 जेबकतरों में 438 महिलाएं थीं। महिलाएं छोटे बच्चों के साथ मेट्रो में चढ़ती हैं। भीड़ के दौरान ये बच्चों को डांटने या उन पर चिल्लाने के जरिए यात्रियों का ध्यान बांटती हैं। इसी बीच उनकी कोई साथी लोगों की जेब काट लेती है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो में जेबकतरों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। ऐसे में सीआईएसएफ की ओर से महिला सुरक्षा कर्मियों की विशेष टीमें बनाई गई हैं।

मेट्रो में बढ़ती जेब काटने की घटनाओं को देखते हुए सीआईएसएफ ने एंटी थेफ्ट स्क्वाड बनाया है। इसकी टीम मेट्रो की हर लाइन पर यात्रा कर संदिग्ध लोगों पर नजर रखती है। एक बार संदिग्ध लोगों की पहचान करने के बाद सीआईएसएफ कर्मी ऐसे लोगों पर निगाह रखते हैं। यदि कहीं जेब काटने की घटना होती है तो संदिग्धों की तुरंत जांच होती है। करोल बाग स्टेशन पर 22 मई 2017 को कुछ चोरों ने एक यात्री के 20 हजार डॉलर चुरा लिए। इन चोरों को सीआईएसएफ के सतर्क कर्मियों ने कुछ ही देर में पकड़ लिया। इसी तरह 31 मई को एक यात्री ने शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर अपना मोबाइल गायब होने की शिकायत दर्ज की। सीसीटीवी में जिन संदिग्धों पर मोबाइल चुराने का संदेह हुआ वे मेट्रो स्टेशन से जा चुके थे। बाद में सीआईएसएफ कर्मियों ने इन्हें सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से पकड़ा।

3- f'k{kk

3-1% vkbZvkbZVh ços'k ijh{kk esa 'kkunkj lQyrk çkIr djrs fcgkj ds Nk=%

बिहार में गया जिले के पटवाटोली गाँव के छात्र अभावों में जीते हुए एवं कठिन आईआईटी एडवांस्ड परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए देश–विदेश में इंजीनियरिंग वाले ज्ञान का झंडा फहरा रहे हैं। पटवाटोली गाँव बुनकरों की आबादी के लिए जाना जाता है लेकिन यह गाँव सौ फीसदी शुद्ध टॉपर पैदा कर रहा है। यहाँ की 10 हजार की आबादी में से अब तक 100 से ज्यादा इंजीनियर निकल चुके हैं। पिछले वर्ष इस गाँव के 14 छात्रों ने आईआईटी एडवांस्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की तो इस वर्ष भी इस गाँव के 15 छात्रों ने आईआईटी एडवांस्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की है।

1992 में यहाँ के जितेंद्र पहले ऐसे छात्र बने थे जिन्हें आईआईटी में सफलता मिली थी। 2000 में वह नौकरी करने अमेरिका चले गए लेकिन उनकी कामयाबी ने छात्रों में इंजीनियर बनने की ललक पैदा कर दी। यहाँ के पूर्व इंजीनियरिंग छात्रों ने मिलकर *'नवप्रयास'* नाम से एक संस्था बनायी है जो आईआईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों को पढ़ाई में मदद करती है। पटवाटोली में पावरलूम के शोर में पढ़ाई करने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें शोर से कोई परेशानी नहीं होती बल्कि शोर उनके लिए संगीत की धुन बन जाता है और वे ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए मशहूर संस्थान सुपर–30 के सभी विद्यार्थियों ने इस वर्ष आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में सफलता पाई। सुपर–30 के संस्थापक एवं गणितज्ञ आनंद कुमार ने कहा कि अब सुपर–30 का आकार और भी बड़ा किया जाएगा। सुपर–30 पिछले 15 वर्षों से बच्चों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने में जुटा है। अब तक इस संस्थान के कुल 450 में से 396 छात्रों ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई है।

3-2% fnYyh dh >qXxh cfLr;ksa ls fudyrs gksugkj%

विषम परिस्थितियों से लड़कर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के होनहारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की ऊंची कटऑफ लिस्ट की दीवार तोड़कर दाखिला पाने में सफलता पाई है। अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बने ये होनहार भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक व पत्रकार बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े कबाड़ बाजार मायापुरी की झुग्गी बस्ती में रहने वाले 17 वर्षीय प्रिंस का दाखिला डीयू के प्रतिष्ठित किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ है। वह बताते हैं कि उन्हें 12वीं की परीक्षा में 94 फीसद अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन इतने अंक प्राप्त करना उनके लिए आसान नहीं था। प्रिंस ने बताया कि उनका घर रेलवे लाइन के पास होने के कारण वह रात को पढ़ाई करते

थे क्योंकि रात में कम ट्रेनें गुजरती हैं। कई बार शोर से बचने के लिए कानों में रुई लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। प्रिंस प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं।

इंदिरा कैंप झुग्गी बस्ती में रहने वाली मधु ने 12वीं की परीक्षा में 88 फीसद अंक प्राप्त कर हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया है। मधु ने बताया कि बस्ती में हर वक्त लाउडस्पीकर बजने के कारण कई बार पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा यहाँ का माहौल भी खराब है। भविष्य में शिक्षक या पत्रकार बनकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाली मधु अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता–पिता को देती हैं।

उत्तर पश्चिम दिल्ली की तिगड़ी झुग्गी बस्ती में रहने वाले देवेंद्र की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। देवेंद्र को 12वीं की परीक्षा में 90.7 फीसद अंक प्राप्त हुए और उन्हें भगत सिंह कॉलेज में दाखिला मिला है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर मंच प्रदान करने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन 'आशा कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसायटी' के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष इन बच्चों के अलावा झुग्गी बस्तियों के सौ से अधिक बच्चों को डीयू के विभिन्न कॉलेजों में दाखिला मिला है।

3-3½ fcgkj VkWi lZ ?kksVkys & f'k{kk ekfQ;k ds lkFk&lkFk ekrk&firk Hkh ftEesnkj½

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और विवादों का रिश्ता पुराना है। 30 मई 2017 को इंटर का रिजल्ट घोषित होने के बाद ही सवाल उठने शुरु हो गये थे। इंटर के तीनों संकायों को मिलाकर कुल 12,40,168 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और इनमें से पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या महज 4,37,115 रही। यानी मात्र 35 प्रतिशत परीक्षार्थी ही पास हो पाये। एक ओर जहाँ 65 प्रतिशत बच्चों के फेल होने पर रिजल्ट की विश्वसनीयता को लेकर हंगामा बरपा तो वहीं दूसरी ओर कला संकाय में टॉप करने वाले गणेश कुमार का रिजल्ट भी बदलना पड़ा। झारखंड में गिरिडीह जिले के मूल निवासी गणेश कुमार ने समस्तीपुर के रामनंदन सिंह जगदीप नारायण उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा दी थी। 42 वर्षीय गणेश कुमार ने जिस स्कूल से पढ़ाई की, वह साधनविहीन है। इस स्कूल में एक भी प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। भवन की पक्की छत नहीं है, स्कूल में बिजली भी नहीं है। प्रयोगशाला और पुस्तकालय नाममात्र के लिए हैं। इस स्कूल के नाम की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी तक को भी नहीं थी। गणेश कुमार को संगीत प्रैक्टिकल में 70 में से 65 अंक मिले थे, जबकि स्कूल में संगीत का कोई सामान नहीं था। ऐसे स्कूल से स्टेट टॉपर निकलने की बात संदेह पैदा करती है, परंतु शुरु में बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य के शिक्षा मंत्री को इसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आया। तब जहाँ एक ओर बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना था कि उनके किसी टॉपर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, गणेश काबिल है, वहीं दूसरी ओर राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का कहना था कि सिर्फ नेगेटिव बातों का प्रचार किया जा रहा है और जिन्होंने उनसे संगीत के बारे में सवाल पूछे थे, क्या वे संगीतज्ञ थे? बाद में पूरा भेद खुलने के बाद गणेश कुमार को बोर्ड कार्यालय से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

इसी तरह वर्ष 2015 में भी विज्ञान एवं कला संकाय में टॉपरों की सूची में बदलाव करना पड़ा था। वर्ष 2016 में तो बिहार में सबसे बड़ा टॉपर्स घोटाला हुआ था। जब कला संकाय की टॉपर वैशाली के विशुनदेव राय कॉलेज की रूबी राय ने परीक्षा परिणाम आने के बाद सवालों के जवाब में राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस) को प्रोडिकल साइंस तथा इसे खाना बनाना सिखाने का विषय बताया था तो कला एवं विज्ञान संकाय के पहले सात–सात टॉपर्स की दोबारा परीक्षा ली गई। रूबी राय इस परीक्षा में शामिल नहीं हुई जबकि विज्ञान संकाय के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार इसमें फेल हो गये। फलस्वरूप इन टॉपरों का परीक्षाफल रद्द कर दिया गया। रूबी राय की उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से करवाने पर पता चला कि इन पर उत्तर विषय विशेषज्ञों ने लिखे थे। विज्ञान संकाय में तीसरे नम्बर पर रहने वाले राहुल कुमार ने कथित रूप से जांचकर्ताओं को बताया कि दो किश्तों में दिए जाने वाले पांच लाख के बदले ऐसी व्यवस्था हो जाती थी कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाकर उत्तरपुस्तिका में अपना नाम लिखकर लौट जाना होता था। इसके बाद सूर्यास्त के समय वे परीक्षा कक्ष में पहुंचते। उन्हें डेस्क पर उत्तर लिखे मिलते थे, जिन्हें वे उत्तरपुस्तिकाओं में खुद उतारते थे। इससे साफ पता चलता है कि बिहार टॉपर्स घोटालों में शिक्षा माफिया के साथ बच्चों के माता–पिता भी संलिप्त थे। इन तथाकथित टॉपरों के साथ ही टॉपर्स घोटाले के मास्टरमाइंड विशुनदेव राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी उषा सिन्हा (जनता दल – यूनाईटेड की पूर्व विधायक) को जेल की हवा खानी पड़ी।

नमामि गंगेः अब आयेंगे गंगा नदी के अच्छे दिन

राजेश कुमार कर्ण*

गंगा भारतीय जनमानस की आस्था का जीवंत प्रतीक है, यह मात्र एक नदी नहीं है बल्कि पालन–पोषण करने वाली माँ है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का उद्भव भगवान विष्णु के चरण–कमल से हुआ। विष्णु के चरण कमल से निकलकर गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में, फिर भगवान शिव की जटाओं में समा गई। अंततः भगीरथ अपनी तपस्या के बल पर इसे धरती पर लाए। प्राचीन काल से ही गंगा का वर्णन देशी तथा विदेशी साहित्य–संस्कृति में अत्यधिक महत्व, भावुकता तथा गरिमा के साथ किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा हैः

''गंग सकल मुद मंगल मूल।
सब सुख करनि हरनि सब सूला।।

अर्थात् गंगा समस्त आनंद–मंगल की जननी है। वह सभी दुःखों को मिटाने वाली और सर्वसुखदायिनी है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने भी लिखा हैः

''सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत''

अर्थात् गंगा स्वर्ग की सीढ़ी है और सबके मन को भाती है। कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों एवं उद्योगों के विकास में गंगा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक की विशाल भूभाग को यह सींचती है। अपनी सहायक नदियों को लेकर यह लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन–जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। आधुनिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि गंगा में अन्य नदियों की तुलना में रोगाणुनाशक गुण कई गुणा अधिक पाए जाते हैं। राष्ट्रीय अभियान्त्रिकी शोध संस्थान (एनईआरआई) के द्वारा किए गए अध्ययनों में कहा गया है कि रोगाणुओं को नष्ट करने वाले जो रोडियो एक्टिव तत्व, भारी धातुएं और कोलियोफेज नामक जीवाणु गंगा में पाए जाते हैं, अन्य नदियों के जल में इनका अभाव रहता है। गंगाजल वर्षों तक बोतलों, डिब्बों आदि में बंद रखने पर भी खराब नहीं होता और न ही उसमें कोई कीड़े लगते हैं। गंगा की इस असीमित शुद्धि करण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद यह प्रदूषित है एवं इसका प्रदूषण तमाम प्रयासों के बावजूद रोका नहीं जा सका है। यह बहुत ही चिंताजनक है।

साभारः हिन्दुस्तान

पतित पावनी गंगा नदी के तट पर आज अनेक नगर–महानगर बसा दिए गए हैं और इनकी सारी गंदगी गंगा में ही बहकर आती है। इन शहरों का सीवर, नदी किनारे मौजूद कल–कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे व विषैले रसायन, बूचड़खानों, अस्पतालों का कचरा, खेतों में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक खाद तथा कीटनाशक, बड़ी संख्या में पशुओं के शव, मानव अस्थियां–राख तथा धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मूर्ति, पूजन सामग्री आदि विसर्जित करने के कारण इसका अमृतजल अत्यंत प्रदूषित हो गया है। नदी के आसपास के वनों–वृक्षों का कटाव, वनस्पतियों में औषधीय तत्वों के विनाश के कारण भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इस प्रदूषित जल में उपस्थित जीवाणु, फफूँद, परजीवी विषाणु के कारण गंगाजल पर आश्रित रहनेवाले 40% भारतीय हैजा, उल्टी–दस्त, अपच, पेट की जलन, बुखार, त्वचा संक्रमण, परजीवी संक्रमण, मूत्र संक्रमण एवं हेपटाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं।

हिमालय घाटी से निकलकर गंगोत्री होते हुए ऋषिकेश तथा हरिद्वार तक गंगा जल कहीं–कहीं पीने एवं स्नान लायक है किंतु इससे आगे कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना सहित कई जगहों पर गंगा जल प्रदूषण के कारण काला दिखता है। नरौरा से बलिया तक गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इलाहाबाद में यमुना के संगम से पहले गंगा को देखिए, कलेजा मुँह को आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। अरबों रुपए के निवेश एवं कठिन

* स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

परिश्रम के बावजूद गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाने तक 2500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने वाली गंगा आज भी शहरों एवं कस्बों का प्रतिदिन 480 करोड़ लीटर सीवेज और 760 चिन्हित कारखानों से निकलनेवाली औद्योगिक कचरा ढ़ो रही है। इन कचरों की वजह से गंभीर प्रदूषण पैदा हो रहा है, जो न सिर्फ जलीय जीवन पर बुरा असर डाल रहा है, बल्कि हमारी पेयजल सेवाओं को भी प्रभावित कर रहा है। अवैध खनन की गतिविधियों से उसका स्वरूप बिगड़ रहा है।

इधर कुछ वर्षों में गोमुख, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस आदि तीर्थस्थानों में यह प्रवृति देखी जा रही है कि गंगा में डुबकी लगाकर जन्म–जन्मांतर तक मुक्ति की कामना से आए बहुत से तथाकथित गंगा प्रेमी स्नान–पूजा करने के बाद तमाम अंधविश्वासों के चलते अपने पहने पुराने वस्त्र, चप्पल, पॉलीथिन, टूटी मूर्तियाँ, बेकार कैलेण्डर और विशेषकर पूजा सामग्री गंगा में प्रवाहित करते हैं। मछली गंगा साफ कर रही है और इंसान उसे गंदा। यदि जानबूझकर और पूरे होशोहवास में कूड़ा बहाया जाएगा तो गंगा साफ कैसे होगी? पानी एवं कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, गुटखा एवं तम्बाकू के खाली पाउच, तमाम तरह के खाद्य पदार्थों के खाली पैकेट, सड़े हुए खाद्यान्न, फटे–चीथड़े कपड़े, मानवीय मल आदि गंगा किनारे स्थित तीर्थस्थानों की खूबसूरती को दाग लगाने पर आमदा हैं। एक गाना ठीक ही कहता है, 'राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते–धोते।'

चारधाम यात्रा, कुंभ और स्नान के बड़े पर्वों पर गंगा और ज्यादा मैली हो जाती है। गंगा के 100 मीटर की हद में किसी तरह की गंदगी फैलाने पर एनजीटी के 50 हजार रुपए जुर्माने लगा देने के बावजूद बहुत से कांवड़िए सरेआम पुरानी कांवड़ गंगा में फेंकते दिख जाते हैं। अपनी मुक्ति की राह तलाशते हम गंगा की मुक्ति की राह कठिन बना देते हैं। सावन में करोड़ों श्रद्धालु इसी उम्मीद में मंदिर–मंदिर डोलते हैं कि वे अपने और परिजनों के ऊपर कुछ पुण्य बरसाने का इंतजाम कर सकें। इसी मकसद से वे दूर–दूर तक कष्ट सहकर भी तीर्थस्थल की यात्रा करते हैं किंतु यहां भी उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से सावन के महीने में प्रतिदिन औसतन एक लाख श्रद्धालु यहां से गंगाजल भरकर 115 किलोमीटर की यात्रा करके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखण्ड के 'देवघर' पहुंचकर उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन हालत यह है कि सुल्तानगंज का राष्ट्रीय स्तर का धर्मस्थल होने के बावजूद गंगा किनारे की सड़कें कच्ची हैं, कई शौचालय जरूर बने हैं, पर उनकी हालत खराब है। तीर्थस्थानों में सुविधाओं का विस्तार जरूरी है।

घाटों पर सड़ते मलबे, प्लास्टिक की बोतलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब दिखती हैं। लगता है भारत के धर्मस्थल गंदे रहने के लिए अभिशप्त हैं। पूरे शहर की गंदगी, मल–मूत्र नालियों के माध्यम से सीधे गंगा में वहां मिल रहा है, जहां लोग इसका आचमन करते हैं, इसे श्रद्ध ा से पीते हैं और बोतल में भरकर भी अपने घर ले जाते हैं। गंगा के नाम पर कमाई करने वाले कई कारोबारी, होटल मालिक अपने होटलों–गेस्ट हाउसों और गंगा भक्त संत–महंत अपने आश्रमों का नाला गंगा में गिराने से बाज नहीं आते। हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पर यह कैसी विडंबना है कि नदी में प्लास्टिक थैलियां एवं तमाम कचरा फेंकने की आम आदत के चलते सरकार को पुलों पर कचरा रोकने वाली लोहे की जालियां लगानी पड़ती हैं। त्रेतायुग से लोगों को तारती आ रही गंगा को आखिर कौन तारे? गंगा की शुचिता के लिए हर इंसान को सुधरना होगा। क्या हम सुधरने के लिए तैयार हैं? हम सफाई करें या नहीं, गंदगी फैलाने का हक किसी को नहीं है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से गंगा नदी में आक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गयी है। इस कारण मछली सहित अन्य जलीय जीव इससे लुप्त हो रहे हैं। इस जल में घुली सीवर के पानी और औद्योगिक कचरे ने क्रोमियम, पीपीएम, कॉलिफार्म, मरकरी जैसी घातक रसायनों की मात्रा बढ़ा दी है। इसके पानी में ई–कोलार्ड बैक्टीरिया पाया गया है जिसमें जहरीला जीन है। नदी के जल में भारी धातुओं की मात्रा 0.05 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि गंगा नदी के जल में यह 0.091 पीपीएम के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। वास्तव में, गंगा किनारे बसी आबादी गंगा को अपना कूड़ा–कचरा ठिकाने लगाने का साधन मान बैठे हैं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक रसायनयुक्त अवशेष, शहरी सीवेज, ठोस विषैला कचरा, रेत व पत्थर

की चुनाई और बांधों के कारण भी गंगा तिल–तिलकर मरने को बाध्य हो रही है। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिक विकास के जोर पकड़ने के साथ ही गंगा मैली होती जा रही है। यह सिलसिला प्रदूषण रोकने की तमाम सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों के बावजूद रूकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक सरकार की सख्ती का भी अपेक्षित असर नहीं दिखा है। भूपेन हजारिका से माँ गंगा का कष्ट देखा नहीं जा सका और वे कहते हैं–

विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार
करे हाहाकार, निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम
ओ गंगा बहती हो क्यूँ?
नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई
निर्लज भाव से बहती हो क्यूँ?

पवित्रता और धार्मिक आस्था से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा का इतना प्रदूषित होना अत्यंत पीड़ादायक, शर्मनाक एवं चिंताजनक है। आम आदमी में गंगा सफाई को लेकर कोई विशेष चेतना एवं जागरूकता नहीं है। उसे साफ गंगा तो चाहिए किंतु इसके लिए वह कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा के किनारे परमाणु बिजलीघर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हैं। कानपुर का जाजमऊ इलाका अपने चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इनकी सारी गंदगी गंगा में ही मिलती है। यहां तक आते–आते गंगा का पानी इतना गंदा हो जाता है कि वहां खड़े होकर ठीक से सांस तक नहीं ली जा सकती। गंगा की इसी दुर्दशा को देखकर मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एम.सी. मेहता ने वर्ष 1986 में गंगा के किनारे लगे कारखानों और शहरों से निकलने वाली गंदगी को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। फिर सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया और 14 जून 1986 को 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) की शुरूआत हुई। इस योजना की बदौलत गंगा के किनारे बसे शहरों एवं कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के अनेक प्लांट लगाए गए जिससे गंगा के पानी में मामूली सुधार हुआ लेकिन गंगा में गंदगी का गिरना बदस्तूर जारी रहा। इसके लिए शुरू से ही सरकारी स्तर पर कठोर कदम उठाने की जरूरत थी किंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने धनाभाव, राजस्व हानि एवं इससे एक तबके की नाराजगी के मद्देनजर सख्त निर्णय नहीं लिए। धनाभाव, राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव तथा केन्द्र–राज्य व स्थानीय निकायों के बीच आपसी समन्वय न हो पाने के कारण 'गंगा कार्य योजना' को बीच में ही रोक दिया गया। गंगा सफाई योजनाओं की विफलता का नतीजा यह है कि इस पवित्र नदी की गणना विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में होने लगी है। वर्ष 1995 में 'गंगा कार्य योजना' का विस्तार कर इसमें अन्य 34 नदियों को सम्मिलित कर इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का नाम दिया गया। वर्ष 2009 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 के अंतर्गत नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी (एनजीआरबीए) का गठन किया गया। साथ ही, दिसंबर 2009 में विश्व बैंक भारत सरकार को 2020 तक गंगा सफाई कार्य पूरी करने के लिए एक अरब डॉलर कर्ज देने पर सहमत हुआ।

यकीनन नदियाँ हमारी सभ्यता–संस्कृति की जननी हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं के तट पर जन्मे, पले, जिए और उन्होंने अपने समाज को गढ़ने में प्रभावी भूमिका अदा की। इन्हीं नदियों की बारहमासी मौजों ने हमें साथ जीना और साथ मरना सिखाया, इन्हीं के तट पर महाकाव्य रचे गए, अनेकों आविष्कार हुए एवं शून्य, जिसके बिना अंकगणित अधूरा है, गंगा घाटी की वैचारिक उपज है। हम इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इन नदियों का पतन हमारा पतन है। यूनेस्को–आईएचई के शोध के अनुसार भारत में अकेली नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसमें सालभर समुचित मात्रा में जल कलकल करता है, महानदी में भी संतोषजनक जल प्रवाह है, किंतु बाकी नदियाँ दम तोड़ रही हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर और नर्मदा का हाल बेहाल है। वर्षा ऋतु के कुछ महीने छोड़ दें तो साल में सात महीने इनके जल प्रवाह में अत्यधिक कमी पाई जाती है। वर्ष 2014 में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में बताया था कि देश की 150 नदियाँ प्रदूषण की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। उसके बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। महाराष्ट्र की 28, गुजरात की 19 और उत्तर प्रदेश की 12 नदियाँ पर्यावरण के असंतुलन से कराह रही हैं। सिंधु ने तो हमें हिंदू या हिन्दुस्तानी बनाया। इन नदियों ने सही अर्थों में हमारी सभ्यता–संस्कृति को जन्म दिया और पोसा भी। अंग्रेज भले ही यह गुमान रखें कि ब्रिटीश सरकार ने हमें सभ्य बनाया किंतु सच यह है कि इन नदियों के किनारे आर्य और द्रविड़ सभ्यताएं तब पनपीं, जब इंग्लैंड जहालत की जिंदगी जी रहे कबीलों का समूह हुआ करता था।

धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पंडित लोग सप्त सरिता यानी गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी का आह्वान करते हैं। साथ ही श्लोकों में हम अभी भी बोलते हैं– गंगा–यमुना–सरस्वती। कहाँ है सरस्वती? पूर्वजों की लापरवाही या कुदरती कारणों से सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। अगर आज

वह होती तो राजस्थान का रेगिस्तान भी लहलहा रहा होता। हजारों साल से नदियाँ हमें जीवन देती आ रही हैं, लेकिन मानव ने अवैध खनन, अतिक्रमण एवं प्रदूषण के जरिए नदियों के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाया है। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इनमें वर्ष 2030 तक 50% पानी ही रह जाएगा। ये नदियाँ अगर सूख गईं तो समूचा भारत मरुस्थल बन जाएगा। हजारों किलोमीटर में बहती ये नदियाँ भले एक दूसरे से न मिलें, किंतु भावनात्मक तौर पर हम इनके जरिए परस्पर जुड़े रहते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता को इन नदियों ने सहेजकर रखा। इतने बड़े योगदान के बावजूद हम स्वार्थवश इन नदियों से मात्र ले रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कुछ दे नहीं रहे, यह हमारी बेगैरती का ही नमूना है। हमने अभी तक गंगा नदी का दोहन ही किया, इनके पोषण की दिशा में संभवतः अबतक ठीक से सोचा ही नहीं। पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भावुक होकर कहा था कि ''अब हमें गंगा से कुछ लेना नहीं है, बस देना है।'' केन्द्र सरकार गंगा की स्वच्छता को लेकर एक्शन मोड में है। मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होते ही गंगा सहित प्रमुख नदियों की साफ–सफाई की योजना पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कामकाज शुरू हो गया था। जहाजरानी मंत्रालय गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एवं महानदी को जोड़कर जल परिवहन ग्रिड तैयार कर रही है। इन प्रमुख नदियों में जलप्रवाह सुनिश्चित करने के साथ–साथ इनका इस्तेमाल ऐसे जलमार्ग के रूप में किया जाना है जिससे सस्ती दरों पर माल की ढुलाई की जा सके। पर्यटन मंत्रालय की पहल पर देश की कुछ शीर्ष कंपनियां गंगा के घाटों का विकास और रखरखाव करने के लिए सामने आई हैं। खुद पर्यटन मंत्रालय 18 करोड़ रुपए के खर्च से इन घाटों का विकास कर रहा है।

गंगा में प्रदूषण नियंत्रण एवं गंगा को पुनर्जीवन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम सही दिशा में हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा के पुनरुद्धार हेतु 'नमामि गंगे' योजना प्रारंभ की। बीस हजार करोड़ रुपए की गंगा की सफाई, संरक्षण एवं पुनर्जीवन की इस योजना की घोषणा के साथ ही उन्होंने गंगा संरक्षण मंत्रालय का गठन भी किया एवं सुश्री उमा भारती को इस मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। दोनों ही गंगा भक्त हैं। उनसे आम जनता गंगा की साफ–सफाई, संरक्षण एवं कायाकल्प को लेकर काफी आशान्वित हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास, नदी तट विकास, जैव–विविधता, वनरोपन, जन–जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण एवं गंगा ग्राम आदि नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं।

मैली गंगा के उद्धार का काम जोर–शोर से चल रहा है। गंगा की सफाई पर कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों नजर रख रहे हैं। गंगा की सफाई से संबंधित ज्यादातर काम पर्यावरण मंत्रालय से जल संसाधन मंत्रालय में शिफ्ट हो चुका है। अब इस मंत्रालय का नाम ही जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय रख दिया गया है। चूंकि यह काम एवं सपना बहुत बड़ा है, इसलिए जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, इजरायल सिंगापुर की सरकारों से भी मदद ली जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने बड़ी दिलेरी से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'नमामि गंगे' को कार्यान्वित किया है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। 'नमामि गंगे' के जरिए केन्द्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2020 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल में 231 जगहों को चुना गया है जहां गंगा को निर्मल बनाया जाएगा। नमामि गंगे की शुरूआत के साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कमीशनिंग और सुधार किया जा रहा है। गंगा घाटों और शवदाह गृहों को रीडेवलप किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में 'नमामि गंगे' मिशन के तहत 425 करोड़ रुपए की लागत वाली छह परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश में तीन (उन्नाव, शुक्लागंज एवं रामनगर) तथा बिहार में तीन (सुल्तानगंज, नौगछिया एवं मोकामा) परियोजनाएं शामिल हैं। दोनों राज्यों में इस राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के साथ घाटों का विकास व शोध कार्य किया जाएगा।

गंगा की सफाई के लिए महंगे ट्रैश स्किमर लगाए जा रहे हैं। गंगा ग्राम स्कीम के तहत गंगा नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि प्रदूषण कैसे कम किया जाए। लोगों को जागरूक करके गंगा की कायापलट की कोशिश की जा रही है। कुछ बायो डायवर्सिटी सेंटर खोले गए हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रजातियों की वेजिटेशन को रिस्टोर करेंगे। औषधीय गुणों वाले पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इससे गंगा का कायापलट होगा। गंगा की कायापलट का मतलब है, गंगा किनारे बसे सभी गांवों एवं शहरों की कायापलट करना। इन्हें साफ करके ही गंगा को साफ किया जा सकता है। गंगा की सफाई के लिए अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं औद्योगिक इलाकों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि इन गांवों–शहरों को सीवेज नेटवर्क से जोड़ना क्योंकि इनका बहुत सारा मल–कूड़ा–कचरा अभी भी मौजूदा सीवेज नेटवर्क के बाहर जमा होता है। इसे रिसाइक्लिंग करके संशोधित पानी गंगा में छोड़ा जा सकता है एवं अवशेष का उपयोग खाद एवं बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। कंपनियां 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'

vey fojy ty/kkj gkj ghjd lh lkHkfr--. साभारः हिन्दुस्तान

की अवधारणा के तहत ही यदि अपने उद्योगों, उपक्रमों से शून्य प्रदूषित जल निकासी का मानक तय कर लें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। फिर गंगा की सहायक नदियों को साफ करना भी जरूरी है जिनका पानी गंगा में मिलता है। बिना स्वच्छ नदियों के स्वच्छ भारत नहीं हो सकता है और स्वच्छ नदियाँ बिना स्वच्छ भारत के नहीं हो सकती हैं। आज विकास का द्योतक ही खूब सारा कूड़ा पैदा करना है और कूड़ा लगातार बढ़ ही रहा है, जबकि पर्यावरणीय दृष्टि से कूड़े को बढ़ने ही नहीं दिया जाना चाहिए। तभी प्रत्येक प्रकार के प्रदूषणों से मुक्ति संभव है क्योंकि कूड़ा बढ़ेगा तो कहीं न कहीं उसे फेंका ही जाएगा और वह हर हाल में पानी में ही मिलेगा चाहे भू–जल में जाएगा या नदी–तालाबों में जाए। प्रदूषण से गंगा को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि इसमें गिरने वाले सभी नालों को गंगा से इतना दूर ले जाया जाए कि उनका गंदा पानी किसी भी सूरत में इसमें न मिलने पाए।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने अपने एक हालिया आदेश में कहा है कि गंगा नदी के सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। एनजीटी ने अपने आदेश में हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के किनारे सौ मीटर तक के तटीय क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया है। साथ ही यह भी कहा है कि गंगा के किनारे से 500 मीटर के दायरे में कचरा नहीं फेंका जाए और जो ऐसा करे उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। यदि इस आदेश का पूरी तरह पालन हो जाए तो इससे गंगा को साफ करने एवं अतिक्रमण से मुक्त करने में मदद मिल सकती है। 11 से 13 मार्च 2016 के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के किनारे प्रख्यात धर्मगुरू श्री श्री रविशंकर ने 'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया था और एनजीटी ने उनपर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया जो बाद में घटकर 5 करोड़ पर आ गया। मसला यह नहीं है कि श्री श्री रविशंकर पर जुर्माना लगाया गया, बल्कि मसला यह है कि पर्यावरणीय नुकसान करने के बाद उन पर जुर्माना लगाया गया। पहले उन्हें नुकसान करने की इजाजत दी गई। होना तो यह चाहिए था कि नुकसान के अंदेशे पर ही उस कार्यक्रम की इजाजत ही नहीं दी जाती। यही यमुना की बर्बादी का कारण है और वर्षों से ऐसी विडंबनाएं झेल कर ही गंगा सहित तमाम अन्य नदियाँ मैली हो रही हैं। गंगा प्रदूषण रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान समय की आवश्यकता है।

पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे। यह निर्णय स्वागत योग्य है। यह मिशन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन एक सोसायटी के रूप में कार्य करता है। गंगा में प्रदूषित पानी डालनेवाली नगरपालिकाओं एवं उद्योगों के विरूद्ध मिशन स्वयं कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। मिशन के अधिकारियों को राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना देनी होती थी। फिर, राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद ली जाती थी। इस चक्रव्यूह में मिशन के हाथ बंध जाते थे, किंतु अब मिशन द्वारा गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सीधे कार्रवाई की जा सकेगी। इससे सरकार के द्वारा वर्तमान में उठाये जा रहे कदमों को बल मिलेगा। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा शहरी निकायों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भारी भरकम फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका सकारात्मक परिणाम भले देर से आए पर सरकारी दवाब के कारण उद्योग अब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर गंभीरता से विचार करने को बाध्य हो रहे हैं।

बहुत से स्वयंसेवी संगठनों के साथ–साथ आज न्यायालय एवं भारतीय सेना भी गंगा को स्वच्छ बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गंगा एवं यमुना नदी को जीवित इंसान जैसे अधिकार देने की बात कही है। इससे इन नदियों में कूड़ा फेंकने, अवैध खनन, दोहन एवं अतिक्रमण की स्थिति में गंगा–यमुना नदी की ओर से मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, महानिदेशक आदि मुकदमा दायर कर सकते हैं। इस फैसले से यह उम्मीद जगी है कि अब सरकार एवं जनता गंगा–यमुना तथा अन्य नदियों की साफ–सफाई एवं संरक्षण के प्रति सजग होगी एवं ऐसा उपाय करेगी कि इनके अस्तित्व पर कोई संकट न आए। हमें यह समझना होगा कि नदियों में भी जीवन है जिसके लिए उनका संरक्षण जरूरी है।

गंगा नदी की स्वच्छता के लिए इसमें मछली सहित अन्य जलीय जंतुओं का होना जरूरी है। वर्तमान में गंगा नदी में पानी की मात्रा कम है एवं गाद ज्यादा, इसके प्रदूषण का यह भी एक कारण है। इसलिए हमें अपने सामाजिक व्यवहार में एक आदत लानी होगी कि हम जल के उपयोग में मितव्ययिता बरतें एवं इसका दुरुपयोग बंद करें। वर्षा तो होती है पर उसके संरक्षण एवं वितरण की माकूल व्यवस्था नहीं है। इसमें तकनीक एवं नवाचार हमारी बहुत मदद कर सकता है। आईआईटी समूह ने गत वर्षों में निर्णय दिया था कि गंगा की पूर्णता को बनाए रखने के लिए लगभग 52% पानी नदी में छोड़ा जाना चाहिए और शेष 48% पानी का उपयोग सिंचाई एवं बिजली बनाने के लिए हो सकता है। साथ ही आईआईटी समूह ने नदी के बहाव की निरंतरता बनाये रखने का सुझाव दिया था। किंतु विकास के नाम पर गंगा नदी पर बांध बनाकर उसके पानी को रोका जा रहा है। अकेले उत्तराखंड में ही गंगा पर 350 बांध बनाने की योजना है। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन गंगा का अधिकांश पानी रोक दिया जाएगा और उसे सुरंगों में डालकर बिजली पैदा की जाएगी। इससे गंगा में पानी कम होती जाएगी और उसके बाद तो गंगा न सिर्फ मैली होती जाएगी बल्कि धीरे–धीरे विलुप्त हो जाएगी। यकीनन अपना जीवन संवारते हुए हम लोगों ने नदियों की जिंदगी छीन ली है। गंगा और इसकी सहायक नदियों से पानी के अंधाधुंध दोहन, अवैध खनन, बड़े बांधों के निर्माण, निरंतर बढ़ते प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा एवं इसके सहायक नदियों के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। गंगा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने इसकी धारा पर प्रस्तावित 24 परियोजनाओं पर और उच्च न्यायालय ने 6 जल विद्युत परियोजनाओं पर सवाल उठाए हैं, किंतु अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंगा संबंधी नए कानून के लिए न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता में गठित समिति गंगा प्रदूषण रोकने के लिए विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार कर कानून का प्रारूप बनाने के अंतिम चरण में है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालते ही नदियों को जोड़ने की बात कही थी, इससे भी नदियाँ अविरल और साफ–सुथरी हो सकती हैं। घातक बाढ़ और सूखे को समाप्त करने के लिए भारत की कुछ बड़ी नदियों को जोड़नेवाली 87 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना पर एक महीने के अंदर काम शुरू होगा। केन्द्र सरकार गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की देखभाल के लिए कानून बना रही है। तैयार हो रहे कानून के मसौदे में गंगा को प्रदूषित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान होगा। साथ ही, गंगा की 24 घंटे रखवाली के लिए गंगा पुलिस तैनात करने की भी योजना है। पिछले दिनों 'नमामि गंगे' की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान में जन–भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। वस्तुतः आम जनता को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाते हुए उन्हें साथ लिए बगैर केवल प्रशासनिक मशीनरी के बूते यह काम पूरा नहीं हो सकता। गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने के व्यापक प्रयास पहले भी हुए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही गंगा सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। गंगा न सिर्फ देश की जीवनधारा है बल्कि लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी है। इसलिए सरकार को तमाम तरह के चेक्स बैठाने होंगे। गंगा के किनारे कई थर्मल पावर प्लांट बनाए गए हैं, जिनकी राख तटबंध के किनारे जमा हो रही है। किसी कारण से अगर एक बार वह तटबंध टूट जाए, तो वह राख सीधे गंगा में समाहित हो जाएगी। एनजीटी एवं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

अंत में, गंगा नदी अवैध खनन, अतिक्रमण एवं प्रदूषण के तिहरे हमले से गंभीर संकट में है, लेकिन गंगा को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सरकारी प्रयास में अब तेजी आई है। नमामि गंगे योजना के बाद गंगा नदी की गंदगी में कमी आई है। नमामि गंगे योजना के स्वच्छ भारत अभियान की तरह आगे चलकर जन–आंदोलन का रूप लेने की उम्मीद है। जवाबदेही तय करने के लिए किसी व्यवस्थित तंत्र के अभाव के कारण तीन चरणों के गंगा कार्य योजना 1986 से नमामि गंगे 2017 तक लगभग 40 हजार करोड़ रुपए बहाकर भी अब तक गंगा की निर्मलता एवं अविरलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। गंगा की साफ–सफाई के लिए चल रही सभी योजनाओं की जन–निगरानी (पब्लिक ऑडिट) भी आवश्यक है। दुनिया के अनेक देशों में नदियाँ जनता की पहल पर ही साफ हुई हैं। गंगा के लिए 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में (जिसमें जयपुर, बीकानेर, काशी, अलवर, दरभंगा जैसी बड़ी रियासतों के महाराजाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी) जैसा जन–आंदोलन का वातावरण बना था, आज वैसे ही जनांदोलन एवं राष्ट्रव्यापी जन–सहभागिता की जरूरत है। नदियों को स्वच्छ रखने का दायित्व हम सबका है, इसलिए हमें एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। आशा है, इसके सफाई प्रयत्नों एवं परियोजनाओं का कार्य निरंतर चलता रहेगा एवं गंगा पुनः सबसे निर्मल, सजल, अविरल एवं स्वच्छ नदी बनेगी।

नयी ऊँचाइयों की तलाश में

Mk- ,yhuk lkerjk;

ऊँचाइयों को छुऊँगी मैं, निरंतर ऊँचा उड़ूँगी मैं
अक्सर स्वयं से करती हूँ प्रश्न, कि कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया?
अवसर आए और अवसर गए, अवसर आए और अवसर गए
अवसरों के इस समंदर में, मैंने डरते हुए एक छोटा सा अवसर चुना......
और स्वयं को आशीषवान समझते हुए, मैंने एक छोटा सा अवसर चुना
अपने विश्वास को नहीं खोते हुए, अवसरों के इस समंदर में,
मैंने डरते हुए एक छोटा सा अवसर चुना

सभी बाधाओं का सामना करते हुए चलती रही अनवरत मैं,
नित नए अवसरों की तलाश में, एक छोटी सी चाह लिए ऊँचा, बहुत ऊँचा उड़ने की
इस अज्ञात जहाँ में खुशियों की तलाश में.....2, चलती रही अनवरत मैं
नित नए अवसरों की चाह लिए, मैं शपथ लेती हूँ ऊँचा, बहुत ऊँचा उड़ने की

ईश्वर पर भरोसे के साथ, लोगों की आलोचनाओं,
घृणा, मजाक, पाखंड की परवाह किए बिना
निरंतर चलूँगी मैं, नित नए अवसरों की तलाश में......

ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं कि मुझे वास्तविक ज्ञान का प्रकाश दे
मैं संकल्प करती हूँ उन राहों पर चलने की, जिन पर पहले पदचिन्ह मेरे हों
स्वयं की पुनः खोज के साथ, मैं चलूँगी अनवरत नित नए अवसरों की तलाश में,
चलूँगी अनवरत नित नए अवसरों की तलाश में।

---

* फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

'इतने ऊँचे उठो'

}kfjdk çlkn ekg'ojh

इतने ऊँचे उठो कि जितना उठा गगन है।
देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से
सिंचित करो धरा, समता की भाव वृष्टि से
जाति भेद की, धर्म–वेष की
काले–गोरे रंग द्वेष की
ज्वालाओं से जलते जग में
इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है।1।

नये हाथ से, वर्तमान का रूप सँवारो
नयी तूलिका से चित्रों के रंग उभारो
नये राग को नूतन स्वर दो
भाषा को नूतन अक्षर दो
युग की नयी मूर्ति–रचना में
इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है।2।

लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है
जीर्ण–शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है
तोड़ों बंधन, रुके न चिंतन
गति, जीवन का सत्य चिरंतन
धारा के शाश्वत प्रवाह में
इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है।3।

चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना
अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना
सूरज, चाँद, चाँदनी, तारे
सब हैं प्रतिपल साथ हमारे
दो कुरूप को रूप सलोना
इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है।4।

आह्वान

बीरेन्द्र सिंह रावत*

अज्ञान के अंधकार में, जानें कितनी बहन
दूषित मानसिकता को, करती रहीं सहन
करती रहीं सहन, भाग्य को कोस अपना
झूठे बंधनों में रह, ना देखा कभी सपना
कहत सभ्य समाजी, मानवता का यह ज्ञान
समानता की सोच, मिटा सकते हैं अज्ञान ।1।

बेटी बेटा इक मान, अंतर न कोई कर
चलें समय के साथ, करें ना अगर मगर
करें ना अगर मगर, इसमें है समझदारी
वर्ना लोग कहेंगे, कि मति गई है मारी
कहत सभ्य समाजी, नजरें करो न टेढ़ी
समान अवसर सोच, हम स्कूल भेजें बेटी ।2।

पढ़–लिखकर आँख खुलती, दुनिया दूजी मिले
जिसमें बसने को सभी, सदैव उत्सुक रहें
सदैव उत्सुक रहें, कोई अधिक कोई कम
ककहरा सीखें सब, और लगायें खूब दम
कहत सभ्य समाजी, अक्षर ज्ञान अंक गिनकर
मंजिल पा सकते, हो तुम खूब पढ़–लिखकर ।3।

पढ़ना लिखना खूब आप, सोच लक्ष्य की सुई
इंदिरा की मूर्ति बनो, गाँधी हो य नूई
गाँधी हो य नूई, शकुंतला या कल्पना
तय आप स्वयं करो, पर मन न भटके अपना
कहत सभ्य समाजी, जीत के खंभे गढ़ना
व्यवसाय कोई हो, छूटे ना कभी पढ़ना ।4।

कर्म पथ आचरण सदा, समान कल या आज
रखेंगी डिगे बिना जब, सुनेगा तब समाज
सुनेगा तब समाज, करो सबको जागरूक
कुरीति का कर नाश, जागे समता की भूख
कहत सभ्य समाजी, बहुत सुंदर है ये मर्म
महिला सशक्तिकरण, के कभी न छूटें कर्म ।5।

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

स्वाभिमान है हिंदी

मोनिका गुप्ता*

सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी
भारत को तो भगवान का वरदान है हिंदी

भारत के भाग्यावकाश का दिनमान है हिंदी, भारत की रक्षा में अडिग हिमवान है हिंदी
देववाणी की अमर संतान है हिंदी, मेरे भारत महान का जयगान है हिंदी
आर्य जाति का अमर कीर्तिमान है हिंदी ।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

हिंदुस्तां का अभिमान है हिंदी, हिंदीत्व का जग में सुनो निशान है हिंदी
हिंदी है हम सभी, हमारी जान है हिंदी, अस्सी करोड़ लोगों की जुबान है हिंदी
हम भारतीयों की अलग पहचान है हिंदी ।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

भाषा जगत में तीसरा स्थान है हिंदी, दुनिया के मंच पर हमारी शान है हिंदी
जातीयता और देश का बलिदान है हिंदी, अध्यात्म में संसार में महान है हिंदी,
विश्व में बंधुत्व का ऐलान है हिंदी।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

विश्व में शांति का उदगम स्थान है हिंदी, आदर्श और नीति में महान है हिंदी
धृति, क्षमा दया का देखो दान है हिंदी, संतोष का सही बखान है हिंदी
सहृदय, सदाचार का आह्वान है हिंदी।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

पवित्रता में गंगाजी की धार है हिंदी, मातृभूमि के गले का हार है हिंदी,
माता सरस्वती का ये श्रृंगार है हिंदी, उस सर्वशक्तिमान का दुलार है हिंदी
शंकर के डमरू की अनोखी तान है हिंदी।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

भारत की एकता का देखो तार है हिंदी, हर शहर, ग्राम ग्राम , द्वार द्वार है हिंदी
हर भारतीय का ही कारोबार है हिंदी, कृषकों का खेत क्यार, घर परिवार है हिंदी
हम भारतीयों की मधुर मुस्कान है हिंदी।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

लोकतंत्र की सदा सुमूल है हिंदी, समता स्वतंत्रता का भी सुफूल है हिंदी
धार्मिक निरपेक्षता का कूल है हिंदी, जातीय मेल जोल का दुकूल है हिंदी
हिदी है मेरा राम और रहमान है हिंदी।।। सच पूछो तो स्वदेश का स्वाभिमान है हिंदी

*स्टेनो असिस्टेंट, ग्रेड–I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का परिणाम

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2016 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 24 सदस्य कार्यालयों से 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा विजयी प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं:

Øe l-	çfr;kxh dk uke	dk;kZy;	ijLdkj
1.	श्रीमती हेमा रावत	राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र	प्रथम
2.	श्री मनोज कुमार गुप्ता	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि., पाइपलाइंस डिविजन	द्वितीय
3.	श्रीमती रश्मि	भारतीय खाद्य निगम	तृतीय
4.	श्री प्रवेश चंद्र गुप्ता	केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय	प्रोत्साहन
5.	श्री बीरेन्द्र कुमार	ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ	प्रोत्साहन
6.	श्री अनुज दीक्षित	नौएडा विशेष आर्थिक जोन	प्रोत्साहन
7.	श्रीमती सोनी मेहता	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	प्रोत्साहन
8.	डॉ. हेमंत कोठारी	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	सांत्वना

सभी सफल प्रतियोगियों को 20.02.2017 को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, सैक्टर–1, नौएडा में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) नौएडा की 33वीं बैठक में नराकास के अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 21 जून 2017 को प्रातः नौ बजे से एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में संस्थान के सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

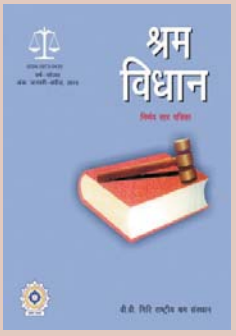

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in